

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2008/189

दिनांक :: 13 अक्टूबर, 2008

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की प्रथम बैठक श्रीमान सुरेन्द्र गोयल, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान एवं अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 15 सितम्बर, 2008 को प्रातः 11-00 बजे कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- 1- श्रीमती अमिता चौधरी, जिला प्रमुख, जिला परिषद, जोधपुर
- 2- डॉ. ओमकुमारी गहलोत, महापौर, नगर निगम, जोधपुर
- 3- श्री नरेशपाल गंगवार, जिला कलक्टर, जोधपुर
- 4- श्री महेन्द्र सोनी, शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान (प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान)
- 5- श्री ए.सी. बाहेती, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
- 6- श्री विनय कुमार माथुर, अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
- 7- श्री दिलीपसिंह चौधरी, अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
- 8- श्री के.सी. गौदानी, अधीक्षण अभियन्ता मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर (प्रतिनिधि मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर)
- 9- श्री आर.आर. टुकलिया, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
- 10- श्री जे.के. बंसल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

प्रस्ताव संख्या 1 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नये भवन हेतु स्थल चयन बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नये भवन हेतु स्थल चयन हेतु सभी सदस्यों से विचार विमर्श किया गया एवं माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह सुझाव प्रस्तुत हुआ कि वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का भवन भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित नहीं है एवं इसमें प्राधिकरण के सभी अधिकारियों के बैठने हेतु आवश्यक व्यवस्था नहीं है इसलिए सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के नये भवन हेतु स्थान का चयन आगामी तीन दिवस में किया जावे। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर को आवश्यक निर्देश प्रदान किये कि आगामी तीन दिवस में स्थान का चयन कर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करें। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारीगण इस हेतु आवश्यक सर्वेक्षण करके 2-3 स्थानों का प्रस्ताव बनाकर जिला कलक्टर, जोधपुर एवं सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आगामी दो दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 2 :: राजस्व आय के संबंध में।

W. S. S.

①

18

श्री निहालसिंह, लेख/अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अध्यक्ष महोदय के समक्ष अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 दिनांक 13-8-2008 तक तक 7829.34 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है एवं इस वित्तीय वर्ष के शेष माह में 8620.00 लाख रुपये की आय प्राप्त होने की संभावना है जिसके बारे में उन्होंने विभिन्न मदों में संभावित आय का विवरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। इस संबंध में सभी सदस्यों ने विचार विमर्श किया एवं यह अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 के 40330.00 लाख की आय प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित आय व्ययक में प्रस्ताव लिये गये थे एवं उन प्रस्तावों के अनुरूप आय प्राप्ति हेतु सभी प्रयास किये जाने चाहिए।

जिला कलेक्टर, जोधपुर ने अवगत कराया कि विवेक विहार योजना में अवाप्ति का निर्णय लिया जा चुका है एवं इस हेतु समुचित राशि का ऋण लेने हेतु कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। संबंधित अवाप्ति की जाने वाली भूमि भी नगर विकास न्यास, जोधपुर के खाते में इन्ड्राज कर दी गयी थी। इसलिए अब मुआवजा राशि का कारशतकारों को भुगतान देकर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है। सभी सदस्यों से विचार विमर्श करके अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि इस योजना का कियान्वयन शीघ्र किया जाये।

जिला कलेक्टर, जोधपुर ने यह भी अवगत कराया कि ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में कुल 2500 बीघा भूमि उपलब्ध है उसमें से केवल 580 बीघा भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन राज्य सरकार से करवाना है। इससे भी न्यास को बहुत आय प्राप्त होगी। अतः अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भेजे जावे और यह सुनिश्चित किया जावे कि प्राधिकरण द्वारा 2008-2009 हेतु निर्धारित आय के लक्ष्य प्राप्त हो सके एवं इस हेतु सभी आवश्यक प्रयत्न सभी स्तर से किये जावे एवं जिन जिन संस्थाओं/व्यक्तियों में बकाया राशि देय है उनसे बकाया राशि प्राप्त की जावे। इस हेतु सुदृढ कार्य योजना बनायी जावे और उसका कियान्वयन किया जावे।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि कई निजी कृषि भूमि पर बनायी गयी आवासीय कॉलोनी के स्वामियों में लगभग 12.00 करोड रुपये से अधिक की राशि बकाया है जिसकी वसूली भी धारा 90-बी नियमन शाखा के दोनों अधिकारी यथा उप सचिव एवं विशेषाधिकारी (भूमि) इस माह के अन्त तक सुनिश्चित करें अन्यथा राशि जमा नही कराने वाले के विरुद्ध सुदृढ आवश्यक कार्यवाही करें एवं न्यास की राजस्व प्राप्ति के लिए सभी स्तर से आवश्यक प्रयास किये जावे एवं नीलामी की समयबद्ध कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: विकास कार्यों के संबंध में।

अध्यक्ष महोदय के समक्ष इस संबंध में विवरण प्रस्तुत करके अवगत कराया गया कि 873 कार्यों पर 237.89 करोड रुपये की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें से 102.24 करोड रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष विकास कार्यों पर कार्य चल रहा है और 135.65 करोड रुपये की राशि इन कार्यों के संबंध में भुगतान की जानी है। सदस्यों से विचार विमर्श करके अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि सभी अभियन्तागण विशेष रूप से विकास कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखे तथा समयबद्ध रूप से कार्यों को पूर्ण करवाया जावे तथा गुणवत्ता के बारे में शिकायत प्राप्त हुई तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

W. S. Singh

2

प्रस्ताव संख्या 4 :: न्यास की विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श

बैठक में न्यास की विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इन सभी योजनाओं में व्यवस्थित रूप से भूखण्डों के विक्रय से राजस्व आय प्राप्त की जावे एवं भविष्य के लिए भी शीघ्र अति शीघ्र नयी योजना बनायी जावे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में 235 गांव सम्मिलित किये गये हैं उनके लिए भी सेक्टर प्लान बनाया जावे तथा उन गांवों में विकास के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी है इसलिए भी नगर नियोजन शाखा के अधिकारियों को पूर्ण लगन से कार्यवाही करनी है एवं शीघ्र ही इस संबंध में प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5(1) :: कच्ची बस्ती में नियमन के संबंध में।

इस बिन्दु पर विचार विमर्श करने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कच्ची बस्ती के सभी प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय कर लिया जावे एवं आम जनता को राहत प्रदान की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5(2) :: 16 राजस्व गांव नियमन के संबंध में।

16 राजस्व गांव नियमन के संबंध में विचार विमर्श करने के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश प्रदान किये कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश प्रदान किये हैं, उसके अनुरूप सभी प्रकरणों का आगामी एक माह की अवधि में आवश्यक निस्तारण कर दिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5(3) :: धारा 90-बी नियमन के संबंध में।

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी के संबंध में विचार विमर्श करने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि धारा 90-बी नियमन के प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु शीघ्र शिविर आयोजित किये जाकर नियमानुसार बकाया प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से

सभी सदस्यों से विचार विमर्श करके अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किये:-

1- जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के गठन के पश्चात् इस कार्यालय के कार्य तत्परता से निपटाने की शैली विकसित की जावे एवं आम जनता के कार्यों का द्रुतगति से समाधान किया जावे।

2- जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की सभी शाखाओं में विशेषकर विधि शाखा, नगर नियोजन शाखा, लेखा शाखा, अभियांत्रिकी शाखा आदि में आगामी कुछ दिनों में आवश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारी एवं उनके सहयोग हेतु अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी जिससे कि प्राधिकरण द्रुतगति से अपनी आगामी योजनाओं की प्रभावी रूप से क्रियान्विती कर सके एवं आम जनता में यह संदेश जावे कि राज्य सरकार द्वारा जोधपुर के विकास हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

Ward
3

3- बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि जोधपुर शहर में ट्राफिक को देखते हुए आवश्यकतानुसार फलाई ओवर का निर्माण कराया जाएगा तथा जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

W. K. Basal

(जे.के. बसल)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2008 / 780 - 807

दिनांक : 13 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि -

- 1- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 2- प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3- जिला प्रमुख, जिला परिषद, जोधपुर
- 4- महापौर, नगर निगम, जोधपुर
- 5- जिला कलेक्टर, जोधपुर
- 6- शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 7- श्री ए.सी. बाहेती, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
- 9- अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
- 10- अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
- 11- मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- 12- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
- 13-

W. K. Basal

(जे.के. बसल)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(4)

5

808-35

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर 23/1/09

क्रमांक/बैठक/2009/808

दिनांक : 23 जनवरी 2009

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की द्वितीय बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2009 का कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की बैठक श्रीमती किरण सोनी गुप्ता आई ए एस अध्यक्ष महोदया, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 13 जनवरी 2009 को अपराह्न 2:30 बजे अध्यक्ष महोदया के कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का नाम सलग्न परिशिष्ट संख्या-1 में अंकित है।

प्रस्ताव संख्या 1 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की गत बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2008 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की गत बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2008 के कार्यवाही विवरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों को वार्षिक बोनस का भुगतान किया जाता है किन्तु इस वर्ष बुनाव आधार संहिता की घोषणा हो जाने से कर्मचारियों/अधिकारियों को बोनस का भुगतान नहीं हो सका। अतः कर्मचारियों/अधिकारियों का बोनस भुगतान का निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

संस्था में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को देय बोनस की गणना निम्न अनुसार है-

1- जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कर्मचारियों को 8400/- रुपये प्रति कर्मचारी व अधिकारियों को 8400/- रुपये प्रति अधिकारी का भुगतान किया गया है। इस अनुरूप गणना करने पर कुल वित्तीय भार निम्न प्रकार होगा:-

क्र.सं	कर्मचारियों / अधिकारियों की संख्या	प्रति कर्मचारी भुगतान राशि	कुल राशि
1-	अधिकारियों की संख्या 13	रुपये 8400/-	1,09,200/-
2-	कर्मचारियों की संख्या 216	रुपये 8400/-	18,14,400/-
	योग		19,23,600/-

2- यदि बोनस की गणना राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप की जाती है तो निम्न अनुसार गणना करने पर कुल वित्तीय भार निम्न प्रकार होगा-

क्र.सं	कर्मचारियों / अधिकारियों की संख्या	प्रति कर्मचारी भुगतान राशि	कुल राशि
1-	कर्मचारियों की संख्या 216	3387/-	7,31,592/-

22

योग		7.31.59 / -
	R/O	7.32 साख

बोनस के संबंध में प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का गठन हो गया है इसलिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों का 3500/- रुपये मूल वेतन मानते हुए वार्षिक मूल वेतन का 20 प्रतिशत भुगतान किया जावे। अध्यक्ष महोदया ने यह भी निर्देश प्रदान किये कि बोनस का भुगतान किये जाने से कर्मचारियों व अधिकारियों में कार्य क्षमता में वृद्धि हानी चाहिए तथा संस्था को लाभ में लाने का प्रयास किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र में भवन विनियम तैयार करने के संबंध में विचार विमर्श।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात् क्षेत्र में निर्मित किये जा रहे भवनों की स्वीकृति हेतु बड़ी संख्या में पत्रावलिया लम्बित है। किन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कोई भवन विनियम अस्तित्व में नहीं होने के कारण इन पत्रावलियों पर निर्णय नहीं किया जा सका। अतः संस्था के भवन विनियम का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा भवन विनियम के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान वरिष्ठ नगर नियोजक ने सुझाव दिया कि भवन निर्माण स्वीकृति को दो चरण में दिया जावे। प्रथम चरण में केवल ग्राउण्ड फ्लोर के निर्माण की स्वीकृति दी जाये एवं प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो तथा सभी नियमों की पालना हो तब दूसरे चरण की स्वीकृति दी जावे।

आयुक्त महोदय, प्राधिकरण ने सुझाव दिया कि इस दिशा में अण्डरग्राउण्ड वाटर लेवल में वृद्धि हो रही है इसलिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा उन स्थानों का चिन्हिकरण कर प्राधिकरण को उन स्थलों का विवरण उपलब्ध कराया जावे जहां अण्डरग्राउण्ड की स्वीकृति नहीं दी जानी है। यह प्रस्ताव दिया कि भविष्य में अण्डरग्राउण्ड वाटर टेबल के बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दिया जावे। बैठक में उपस्थित अति मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक ने आश्वस्त किया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा आगामी 15 दिवस में वांछित क्षेत्रों का चिन्हिकरण कर सूची उपलब्ध करा देंगे जहां अण्डर ग्राउण्ड की अनुमति नहीं दी जानी है।

प्राधिकरण के सदस्यों ने सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर हेतु नये भवन विनियम बनाये जावे तब तक नगर विकास न्यास, जोधपुर नगरीय क्षेत्र भवन विनियम, 2001 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र में लागू किये जावे। प्रचलित विनियम 2001 को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र में लागू करने हेतु सक्षम अधिकारों के निर्धारण एवं कार्यालय प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु कार्यकारी समिति को अधिकृत किया जाता है।

नये भवन विनियम का प्रारूप बनाने हेतु निम्न अनुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

- 1- आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर - अध्यक्ष
- 2- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर - सदस्य
- 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर विभाग, जोधपुर - सदस्य

- (7)
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत्, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
— सदस्य
 - 5- अधीक्षण अभियन्ता, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
— सदस्य
 - 6- उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
 - 7- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जॉन, जोधपुर — सदस्य सचिव

उपरोक्त कमेटी प्रचलित विनियमों तथा स्थानीय परिस्थितियों, ग्राउण्ड वाटर टेबल के स्तर को ध्यान में रखते हुए विनियम बनाकर एक माह की अवधि में कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 4 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र में भूमि विक्रय हेतु राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 को लागू करने पर विचार विमर्श।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में भूमि विक्रय हेतु नियम/उप नियम अस्तित्व में नहीं हैं। नगर विकास न्यास, जोधपुर में इससे पूर्व भूमि का निस्तारण राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के अन्तर्गत किया जाता था। किन्तु, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के गठन के पश्चात राज्य सरकार द्वारा कोई नवीन नियम नहीं लागू किये हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर गठन अध्यादेश 2008 की धारा 48 में यह प्रावधान है कि भूमि का आवंटन नियमितिकरण या नीलामी के रूप में व्ययन ऐसे निबंधनों तथा निबंधनों के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करें और ऐसे रीति से कर सकेगा जैसा कि यह समय समय पर विहित करें।

अतः यह प्रस्तावित किया गया कि राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 को यथा अनुरूप एडॉप करते हुए राज्य सरकार से इन नियमों को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के लिए लागू करने हेतु अनुमति अनुरोध किया जावे।

प्राधिकरण के सदस्यों ने संपूर्ण विचार विमर्श कर राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 को यथा रूप जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर हेतु स्वीकार (Adopt) करने का निर्णय किया।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अध्यादेश की धारा 49 के तहत कतिपय भूमि के आवंटन नियमितिकरण आदि हेतु भी राज्य-सरकार द्वारा जारी निर्देश एवं प्रचलित प्रक्रिया अनुसार निस्तारण करने का निर्णय लिया गया। कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जारी प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन, नियमितिकरण आदि को लागू करने की कार्यवाही करेगी।

सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप विभाजन, पुनर्गठन और सुधार) नियम, 1975 एवं राजस्थान नगरपालिका भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2000 को भी यथारूप जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर हेतु स्वीकार (Adopt) किया जावे।

नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप विभाजन, पुनर्गठन और सुधार) नियम, 1975 एवं राजस्थान नगरपालिका भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2000 को जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर क्षेत्र में लागू करने हेतु सक्षम अधिकारों एवं कार्यालय प्रक्रिया का निर्धारण आदि शक्या कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 5

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र में भूमि नीलामी हेतु न्यूनतम बोली दरों का पुनः निर्धारण करना।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र में भूमि की नीलामी हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के गठन के पश्चात तीन बार प्रयास किये गये किन्तु किसी भी नीलामी में बोलीदाता बोली लगाने हेतु उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण में यह प्रचलित प्रक्रिया है कि किसी क्षेत्र में पिछली बार नीलामी में जो अधिकतम बोली दर प्राप्त होती है वह उसी क्षेत्र की आगामी बोली के लिए न्यूनतम बोली रहेगी। वर्ष 2007-2008 में पूरे देश में भूमि की अत्यधिक मांग रही तथा उच्च दरों पर जमीनों की नीलामी हुई है। वर्तमान में पूरे देश में रीयल एस्टेट में बंदी का दौर है तथा भूमि के दामों में तेजी से गिरावट आयी है। ऐसी स्थिति में गत नीलामी की उच्चतम दर से कोई भी बोलीदाता भूमि पर बोली लगाने को तैयार नहीं है। अतः पिछली बार की बोली में 25 प्रतिशत की कमी करते हुए बोली प्रारम्भ की जाने की अनुमति दी जानी प्रस्तावित है। प्रयास यह किया जाये कि इस दर से बोली प्रारम्भ कर पिछली बोली के समकक्ष दरें लाने का प्रयास किया जावे। नीलामी हेतु व्ययक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जावे।

बैठक में जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर ने सुझाव दिया कि यह प्रकरण प्रशासनिक निर्णय के हैं जिनमें आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर स्वयं निर्णय लेने को अधिकृत हैं। बाजार में प्रचलित परिस्थितियों के अनुरूप भूमि की नीलामी दर तय की जावे तथा नीलामी बोली को अन्तिम रूप देने समय यह देखा जावे कि नीलामी बोली प्रचलित बाजार दर के अनुरूप है या नहीं? और इस आधार पर स्वीकृति दी जावे। नियमों में पिछली अधिकतम बोली को आगामी बोली के लिए न्यूनतम दर स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ नगर नियोजक ने भी इस पर सहमति दी।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि यह प्रकरण कार्यकारी समिति के स्तर पर तय किया जा सकता है। अतः सर्व सम्मति से बाद बिहार विमर्श निर्णय लिया कि बोली की दर तय करने के प्रकरण कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6

मास्टर प्लान तैयार करना।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2008 के अध्याय 5 के नियम 21 के अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र के सिविक सर्वे और मास्टर प्लान तैयार करने बाबत प्रावधान किया गया है। वर्तमान में तत्कालीन नगर सुधार ब्यास द्वारा तैयार मास्टर प्लान में 72 राजस्व ग्राम सम्मिलित है तथा मास्टर प्लान की अद्यधि वर्ष 2001-2023 तक है। इस मास्टर प्लान को राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2003 में अनुमोदित किया गया है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में 235 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये हैं तथा अध्याय 5 के नियम 21 के अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र का सिविक सर्वे कर मास्टर प्लान बनाया जाना प्रस्तावित है। अध्याय 5 का नियम 21 निम्नानुसार है -

"21. सिविक सर्वे और मास्टर योजना तैयार करना - (1) प्राधिकरण भूमि के योजनाबद्ध एकीकृत विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जोधपुर नगर का सिविक सर्वे करेगा और जोधपुर रीजन के लिए मास्टर विकास योजना तैयार करेगा।

(2) मास्टर विद्युत योजना में जोधपुर रीजन के नागरिकों के उच्च जीवन को जिसके निर्वाह की इच्छा हो (1) वर्ष 2016 ई में मास्टर प्लान के परिष्कार में (2) वर्ष 2017

2

ई में और उसके पश्चात दीर्घकालीन परिपेक्ष्य में तथा (3) राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऐसे अन्य अन्तर्गती चरणों में स्थित हैं जोधपुर नगर और जोधपुर रोजन के अन्य विकासोन्मुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतुलित और समयबद्ध विकास को लोकोपयोगी सिविक सुविधाओं, सामुदायिक प्रसुविधाओं, आवासीय, सड़क, और यातयात के जास विधानों को प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण और विकास के लिए परियोजनाओं और स्कीमों को तथा जोधपुर रोजन के एकीकृत विकास पर पभाव डालने वाली ऐसी अन्य बातों को स्पष्टत परिभाषित किया जाएगा ।

जोधपुर शहर के 235 गांव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के क्षेत्र में अधिसूचित कर दिये गये हैं इसलिए इसका मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सदस्य ने अपने विचार प्रस्तुत किये। वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर ने सुझाव दिया कि तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर क्षेत्र में सम्मिलित 72 गांव थे उनका मास्टर प्लान वर्ष 2023 तक का बना हुआ है। इस प्लान को यथा रूप लागू रखते हुए नये क्षेत्र शामिल करके हुए सेक्टर प्लान तैयार कर लागू किया जा सकता है।

जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर ने सुझाव दिया कि मास्टर प्लान विस्तृत परिदृश्य को शामिल करते हुए बनाया जाना चाहिए। मास्टर प्लान में 72 गांव के प्लान तथा नये सम्मिलित गांव के प्लान में सामजस्य स्थापित हो।

आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने सुझाव दिया कि मास्टर प्लान के साथ साथ सेक्टर प्लान तैयार किया जावे जिससे एक सेक्टर की रोड दूसरे सेक्टर की रोड की निरन्तरता में हो। सामान्यतः यह देखा गया है कि किसी कॉलोनी का क्षेत्र समाप्त होने पर उसकी मुख्य सड़क दूसरी कॉलोनी का प्रारम्भिक बिन्दु नहीं होता है। अतः सेक्टर प्लान में मुख्य सड़क दर्शाते हुए सड़क की निरन्तरता को प्रदर्शित किया जावे।

अध्याक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि मास्टर प्लान आगामी 20 वर्षों की जोधपुर जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जावे तथा इसमें सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं को सम्मिलित किया जावे। मास्टर प्लान में सिविल एक्सपॉन्ट, Trade & Convention Centre तथा अन्य मुख्य सुविधाओं का प्रावधान किया जावे। कॉलोनी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की पर्याप्त व्यवस्था रखी जावे।

बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर ने सुझाव दिया कि मास्टर प्लान में जहां भी कॉलोनी क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है वहां 33 के.वी. जी एस एस्. बनाने हेतु भूमि का प्रावधान किया जावे।

इसी प्रकार अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जोधपुर ने विभाग के लिए वग्न हाऊस आदि के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि का प्रावधान रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जान जोधपुर को मास्टर प्लान का मसौदा तैयार करेंगे। वरिष्ठ नगर नियोजक का उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सहयोग करेंगे। उक्त मास्टर प्लान तीन माह की समयवधि में तैयार कर कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। मास्टर प्लान तैयारी की मासिक समीक्षा अध्याक्ष महोदय के स्तर पर की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 7

सुपरसिडि भण्डारी आवासीय योजना की तौटरी विकासने की स्वीकृति।

22

तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा सुन्दर सिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत कमाजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के स्वयंसेवियों के लिए रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदन-पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2008 तक आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी कर ली गयी है। प्राप्त कुल 6579 आवेदन-पत्रों में से पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची प्राधिकरण कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, नगर निगम कार्यालय व सूचना केंद्र के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 14 जनवरी 2009 को वेस्था कर सूचित कर दिया जावेगा कि यदि कोई व्यक्ति इस संबंध में कोई आपत्ति पेश करना चाहे तो दिनांक 23-1-2009 तक इस संबंध में आपत्ति/झापन पेश कर सकता है। दिनांक 23-1-2009 तक आपास्त/ झापन प्राप्त होने के पश्चात् पात्र आवेदकों की लॉटरी आयोजित की जानी है।

सुन्दरसिंह भण्डारी आवासीय योजना के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी चाही गयी कि क्या आवेदन-पत्रों की पूर्णतः छंटनी कर ली गयी है? स्वीकृत तथा अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या का आकलन स्पष्टतः कर लिया गया है। प्रभारी अधिकारी, आवेदन शाखा श्री अनवर अली खान, विशेषाधिकारी ने जानकारी दी कि आवेदन-पत्रों की छंटनी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सूची तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर ने सुन्दरसिंह भण्डारी आवासीय योजना के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही -

- 1- आरक्षित दर का आकलन कर परीक्षण कर लिया गया है?
- 2- योजना का ले आऊट प्लान पूर्णतः अनुमोदित कर लिया गया है?
- 3- भौतिक रूप से भूमि उपलब्ध है?
- 4- कोई अवैद्य कब्जा नहीं है?
- 5- किसी न्यायालय में कोई विवाद लम्बित नहीं है?
- 6- साईट पर डि-मार्केशन किया हुआ है?

उक्त बिन्दुओं के संबंध में सचिव द्वारा जानकारी दी गयी कि यह योजना बनाकर आवेदन-पत्र प्राप्त करने का कार्य नगर विकास न्यास जोधपुर के समय ही ही चुका है एव उसी समय आरक्षित दर की गणना कर आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि प्रथमतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पालना की जावे। उसके पश्चात् यह प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सुन्दरसिंह भण्डारी आवासीय योजना के संबंध में जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल कर प्रकरण निर्णय हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष रखकर निर्णय लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर शीजन क्र. 4 जोन में विभक्त करना।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के विशाल कार्यक्षेत्र को देखते हुए समस्त क्षेत्र को चार जोनों में विभाजित कर अधिकारों के माध्यम से कार्य विभाजन किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के क्षेत्र को 4 जोनों में विभाजित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्लान निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

2

बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श कर 4 जल में विभाजन करने के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकार किया।

प्रस्ताव संख्या 9 बढ़ते हुए भू-जल की समस्या के संबंध में

जोधपुर क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ने से जोधपुर क्षेत्र में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। शहर के मकानों में अण्डर ग्राउण्ड में पानी भरने लग गया है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार 28 मीटर वाटर टेबल प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। जो एक गम्भीर बुनीती है इससे भूमिगत जल दूषित हो गया है साथ ही मकानों, गौदामों, अण्डरग्राउण्ड आदि के लिए गम्भीर खतरे की स्थिति बन गयी है।

आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने शहर में बढ़ते हुए भूजल स्तर के संबंध में चिन्ता व्यक्त करते हुए बताया कि शहर में तेजी से भूजल स्तर बढ़ रहा है इससे कई क्षेत्र गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं तथा उन क्षेत्रों में पानी भर गया है। अति मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने बताया कि इस समस्या के समाधान हेतु एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में खरबूजा बावड़ी में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा एक प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया है। इस योजना में खरबूजा बावड़ी से पानी लिफ्ट करके मण्डौर स्थित नागादड़ी क्षेत्र भेजा जावेगा जिसको मण्डौर गार्डन के लिए इस पानी का उपयोग किया जावेगा। यह योजना दिनांक 21 जनवरी, 2009 को प्रारम्भ हो गयी है। जिससे इस क्षेत्र में भूजल स्तर में कुछ कमी आयी है। यह पायलेट प्रोजेक्ट प्रारम्भिक रूप से सफल प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर ने कहा कि यह पायलेट प्रोजेक्ट शहर के लिए उपयोगी है किन्तु इसकी उपयोगिता थर्डपार्टी रिपोर्ट के आधार पर ही तय की जा सकती है। अतः विशेषज्ञों की टीम से इस पायलेट प्रोजेक्ट का अध्ययन करवा कर परिणाम प्रस्तुत किये जावे। जिससे इस प्रोजेक्ट की सफलता के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

अति मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने सुझाव दिया कि अभी तक पानी का बढ़ने का कारण स्पष्ट नहीं है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के पश्चात् ही सही निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने पूरे जोन का सर्वे कर इसको 4 भागों में विभक्त किया था। यदि इन बिन्दुओं पर मोटर लगाकर पानी लिफ्ट किया जावे तथा नीली में डाल दिया जावे तो कुछ ही समय के बाद जल स्तर नीचे चला जावेगा।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि पानी को इस प्रकार नाली में डालना उपयोगी सुझाव नहीं है। इस पानी के वैकल्पिक उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसी कई संस्था हैं जिनमें भारी मात्रा में गार्डनिंग व अन्य उपयोग हेतु पानी की आवश्यकता होती है जैसे सेना, आर.ए.सी., रेलवे काजरी, आफरी विश्वविद्यालय आदि। इन संस्थाओं से वार्ता करके पानी के उपयोग पर विचार किया जावे तथा लिफ्ट हुए पानी को इन संस्थाओं को उपलब्ध कराया जावे जिससे पानी का सदुपयोग होगा साथ ही इन संस्थाओं से इस जल के एयज में जो राशि मिलेगी वह राशि इस पानी को लिफ्ट करने में किये जाने वाले खर्च के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने फतेहसागर गुलाबसागर व आसपास के क्षेत्रों से पानी लिफ्ट करने के लिए 167 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना प्रस्तुत की।

जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा चलाये गये इस प्रोजेक्ट की रनिंग कॉस्ट कम रहेगी तो इस काष्ठ भी संचालन करेगा। अति मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने अग्रगत कराय कि इसे परियोजना की रनिंग कॉस्ट 24.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष है। जिसे जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, या नगर निगम, जोधपुर इसे वहन करे, इस विभाग के पास कोई बजट उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि जब तक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक नये प्रोजेक्ट को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रायोगिक तौर पर नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग उन स्थानों पर पम्प लगाकर पानी लिफ्ट करने की व्यवस्था करे। विभाग द्वारा निम्नानुसार क्षेत्रों में कार्य करने की सहमति दी गयी -

क्र.स	क्षेत्र का विवरण	विभाग जिसके द्वारा सहमति दी गयी
1-	पुरजी का झालरा	नगर निगम, जोधपुर
2-	फतेहसागर	सार्वजनिक निर्माण विभाग
3-	गुलाब सागर	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग

ये विभाग दिनांक 19 जनवरी, 2009 तक एक-एक पम्पसेट स्थापित कर पानी लिफ्ट करने की व्यवस्था करेगे तथा इसके प्रभाव का नियमित अध्ययन कर रेकॉर्ड संधारित करेंगे।

10- Saying Clause

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के गठन के साथ सभी प्रकार के नियम व उप नियम की आवश्यकता रहती है। किन्तु संस्था के गठन के पश्चात् विधानसभा आम चुनाव आचार सहित लागू होने से नियम/ उप नियमों का निर्माण नहीं हो सका है। अतः ऐसी स्थिति में जब तक नये नियम नहीं लागू किये जावे तब तक नगर विकास न्यास अधिनियम के अन्तर्गत समस्त नियम/ उप नियम को यथा रूप जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के लिए स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि न्यास नियम/ उप नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का कार्य संचालित किया जावे साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इन नियमों/ उप नियमों के अन्तर्गत तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर के स्तर की कमेटियों की शक्तियां कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित की जाती है। कार्यकारी समिति को अधिकृत किया जाता है कि वे आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन कर उनकी शक्तियों का निर्धारण करें। इसी क्रम में उपरोक्त नियमों/ उप नियमों में सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर को प्रदत्त शक्तियां सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में निहित होगी।

11- अंसल कॉलोनी क्षेत्र में स्थित प्राधिकरण की भूमि पर योजना के संबंध में।

राजस्थान ग्राम भाकरासनी के विभिन्न खसरो पर सुशांत मिट्टी के नाम से आवासीय योजना विद्यमान है वर्तमान में उक्त योजना में भवनों के निर्माण व विभिन्न विकास कार्य मोकामुसार संचालित है।

उक्त योजना के भीतर 11 विभिन्न खसरो में कुल 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त योजना में प्राधिकरण की उपरोक्त भूमियों में मास्टर प्लान प्रस्ताव अनुसार आवासीय भूखण्ड काट कर नीलामी के माध्यम से बेचने का प्रस्ताव है।

सुरात सिटी के अनुमोदित मानचित्र पर प्राधिकरण की विभिन्न भूमियां जो सलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है परन्तु साथ ही उन पर "Park" आदि भी अंकित किया हुआ है। प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विद्यारार्थ प्रस्तुत है।

उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने जानकारी दी कि उक्त कॉलोनी क्षेत्र में 8 भूखण्डों की 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि है जिसमें कुछ क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन किया हुआ है। 2 भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन शेष है। इस क्षेत्र में कॉलोनी काटकर भूखण्डों की नीलामी की जा सकती है।

जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर द्वारा साईट प्लान का अवलोकन कर कहा कि असल कॉलोनी क्षेत्र में जो भी राजकीय भूखण्ड हैं उन सभी भूखण्डों पर असल विल्डर्स द्वारा पार्क अंकित कर 40 प्रतिशत क्षेत्र जो जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में समर्पित किया जाता है, में प्रदर्शित कर दिया है। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि असल में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि को पार्क का हिस्सा बताकर अपनी 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर प्लॉट काटे है जो गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है। वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर से भी इस संबंध में जानकारी चाही गयी कि उनके द्वारा उक्त साईट प्लान को किस प्रकार अनुमोदित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश प्रदान किये कि साईट प्लान का पुनः परीक्षण किया जावे तथा पत्रावली पर समस्त प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर असल कॉलोनी क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि के संबंध में पूर्ण तथ्यों की जानकारी कर कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

12- अन्य विषय अध्यक्ष महोदय को अनुमति से-

वैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित प्रकरण प्रस्तुत किये जाकर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

12(1)- प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्रधिकार में छूटे गांवों को सम्मिलित करते बाबत-

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अधिसूचना के साथ ही 235 गांव क्षेत्राधिकार में सम्मिलित हो गये हैं। किन्तु इन गांवों में शामिल करने के दौरान परिधि क्षेत्र में स्थित कुछ गांव सम्मिलित करने से छूट गये हैं जो अधिसूचित क्षेत्र के मध्य में स्थित हैं। इसलिए इन गांवों को भी अधिसूचना में शामिल करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने हेतु विद्यारार्थ प्रस्तुत है। इन गांवों की सूची निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील
1.	धिनाणा की ठाणी	जोधपुर
2.	डण्ड	जोधपुर
3.	बासनी चौहाना	जोधपुर
4.	गिरा	जोधपुर
5.	सुथाना	जोधपुर
6.	चौपासनी	जोधपुर

7.	जाखडा की ढाणी	जोधपुर
8.	महादेव नगर उम्दडा	जोधपुर
9.	शिव सायल की ढाणी	जोधपुर
10.	पुनिया की षाऊ	जोधपुर
11.	चरो की ढाणी	जोधपुर
12.	पूजला	जोधपुर
13.	भदवारिया	जोधपुर
14.	चनपुरा	जोधपुर
15.	वासनी मालिया	जोधपुर
16.	वासनी तम्बोलिया	जोधपुर
17.	करनाली ढाणी	जोधपुर
18.	समनगर	जोधपुर
19.	डिगाडी	जोधपुर
20.	बिनायकिया	जोधपुर
21.	भिचडली	जोधपुर
22.	श्री यादेनगर	जोधपुर
23.	सांडेर की ढाणी	जोधपुर
24.	वालिया	जोधपुर
25.	सेवाली की ढाणी	जोधपुर
26.	जाजीवाल विश्नाइवा	जोधपुर
27.	धायली की ढाणी	जोधपुर
28.	भाटो की ढाणी	जोधपुर
29.	खारी कला	जोधपुर
30.	खारी खुद	जोधपुर
31.	बुध नगर	जोधपुर
32.	हमीर नगर	लूणी
33.	हनुमान नगर	लूणी
34.	समनगर	लूणी
35.	राजोर	लूणी
36.	हीरखेडा	लूणी
37.	घाण्डो की ढाणी	लूणी
38.	माडी	लूणी
39.	राबडिया बास	लूणी
40.	खेजडानाडा	लूणी
41.	पाबूनाडा	लूणी
42.	पिडिवारी की ढाणी	लूणी
43.	विष्णु की ढाणी	लूणी
44.	अजीत नगर	लूणी
45.	देव नगर	लूणी
46.	विष्णुनगर	लूणी
47.	मेहराम नगर	लूणी
48.	गुलाब नगर	लूणी
49.	वीर तेजा नगर	ओसिया
50.	चैनसिंह नगर	ओसिया
51.	नागेश्वर नगर	ओसिया
52.	सिंघिया की ढाणी	ओसिया
53.	बिनायकपुरा	ओसिया

RL

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि जोधपुर गोजन के मकथ के साथ जिला कलक्टर महोदय जोधपुर को प्रेषित किया जावे ताकि छूटे हुए गावों को पुष्टि हो सके व अन्य कोई गाव अगर छूट गये हो अथवा नये सजसब ग्रामों का सूजन हो गया हो तो उन्हें भी सम्मिलित किया जा सके। जिला कलक्टर महोदय जोधपुर से अनुमोदन परचात प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जावे।

12(2)- कार्यकारी समितियों का गठन-

आयुक्त महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की दैनिक एवं सामान्य गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्राधिकरण के अधिकार कार्यकारी समिति में है। अतः कार्यकारी समिति के गठन का प्रस्ताव रखा।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में कार्यकारी समिति का अनुमोदन किया गया। कार्यकारी समिति में सदस्य जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश की धारा 7 में अंकित सदस्य होंगे। गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन राज्य सरकार से प्राप्त होन पर उसमें शामिल किया जावेगा।

12(3)- जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अध्यादेश में प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उप नगर नियोजक, जोधपुर को सदस्य बनाया है जबकि जोधपुर में वरिष्ठ नगर नियोजक का पद स्वीकृत है तथा इस पद पर अधिकारी कार्यरत है। अतः राज्य सरकार को वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को सदस्य नामांकित करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये जावे। विचार विमर्श के परचात सर्व सम्मति से वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का सदस्य नामांकित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

12(4)- आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने चार जानल ऑफिसर तथा अन्य स्टाफ के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के सुचारु रूप से संचालन हेतु सलग्न सूची के अनुसार स्टाफ स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जावे।

विचार विमर्श के परचात सर्व सम्मति से आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राज्य सरकार को उक्त अनुसार सलग्न सूची के अनुसार स्टाफ स्वीकृत करने हेतु भिजवाया जावे।

12(5)- तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा लगवाये गये यूनियोल के संबंध में-

माननीय महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर ने अवगत यह बिन्दु उठाया कि तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा एक अनियमित आदेश जारी कर शहर के विभिन्न स्थानों पर यूनियोल लगवा दिये गये थे। शहरी क्षेत्र में विज्ञापन, यूनियोल, होर्डिंग्स आदि के अधिकार मात्र नगर निगम, जोधपुर में निहित है। इसके उपरान्त भी तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा नगर निगम, जोधपुर के अधिकारों पर अतिक्रमण करते हुए शहर में यूनियोल लगाने की स्वीकृति दे दी गयी। इसके ऊपर यह अनुमति भी नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा बिना किसी फीस अथवा बिना किसी शुल्क वसूली के सौन्दर्यकरण के नाम पर यूनियोल लगाने की स्वीकृति दे दी गयी। जबकि नगर निगम को विधिवत् भीलामी करके शहर में यूनियोल लगाने की स्वीकृति दी है जिससे नगर निगम को अच्छी आय होती है। तत्कालीन नगर विकास न्यास

जोधपुर द्वारा लगाये गये अनियमित यूनियोपल के संबंध में विवाद, माननीय मंत्री महोदय, स्थायत शासन एवं नगरीय विकास के यहां विचाराधीन है।

बैठके में उपरिथत अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर श्री निरजम माधुर ने बताया कि नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा पूर्व में इस प्रकार की स्वीकृति दी गयी है एवं रेफरेंस भी माननीय मंत्री महोदय के यहां विचाराधीन है जिसकी सुनवाई हेतु वे गत सप्ताह में माननीय मंत्री महोदय के यहां उपस्थित हुए थे परन्तु अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं किया गया है। जिला कलक्टर महोदय ने कहा कि विज्ञापन का एक मात्र क्षेत्राधिकार नगर निगम, जोधपुर का ही है एवं नगर विकास न्यास, जोधपुर को यूनियोपल लगवाने का अधिकार नहीं है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि भविष्य में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा यदि कोई विज्ञापन का आदेश जारी किया जाता है तो नगर निगम, जोधपुर की सहमति से ही किया जावे तथा पूर्व गौरव पथ पर स्थापित यूनियोपल नगर निगम, जोधपुर को सुपुर्द करे। माननीय मंत्री महोदय के यहां चल रहे विवाद को विझा किया जावे।

12(6)- जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगायी जा रही लाईटों के संबंध में:-

माननीय महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर ने जानकारी दी कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उनके क्षेत्र में लगाये गये विद्युत पोलो की लाईटें बिना नगर निगम, जोधपुर की स्वीकृति के बदल दी जाती है तथा पूर्व में लगी हुई लाईटें जो कि कीमत सोडियम लाईटें हैं, नगर निगम, जोधपुर को वापस नहीं की जाती है। कुछ लाईटें वापस लौटायीं गयीं हैं, वह पूर्णत: खराब हैं जिनका कहीं अन्यत्र उपयोग नहीं किया जा सकता है। माननीय महापौर महोदय ने अनुरोध किया कि नगर निगम क्षेत्र में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर लाईटों के संबंध में कार्यवाही नहीं करे।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा नगर निगम, जोधपुर द्वारा रखरखाव किये जाने वाले लाईट पोलो पर लाईट बदलने की कार्यवाही बिना नगर निगम, जोधपुर की सहमति के नहीं की जावे।

12(7)- विकसित कॉलोनियो को हस्तान्तरित करने के संबंध में:-

माननीय महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर द्वारा जानकारी दी गयी कि कुछ कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं, उन कॉलोनियों को नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जावे जिससे नगर निगम, जोधपुर इन कॉलोनियो के स्थानान्तरण की व्यवस्था करे तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर प्राधिकरण की कॉलोनियो के रखरखाव हेतु आवश्यक राशि नगर निगम, जोधपुर में जमा करावे।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि जो कॉलोनिया विकसित हो चुकी हैं, उन्हें नगर निगम, जोधपुर को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावे।

विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्ण विकसित कॉलोनियो के हस्तान्तरण के संबंध में रिपोर्ट तैयार करें।

12(8)- राजस्व आय के संबंध में-

आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अवगत कराया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में वर्तमान वित्तीय संकट है एवं इसका समाधान करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पूर्व में नगर विकास भ्यास, जोधपुर द्वारा बजट वर्ष 2008-09 के लिए प्राप्त मद में रु. 403.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध प्रथम 9 माह में मात्र रु.113.08 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया गया। अतः प्रावधान के विरुद्ध रु. 290.22 करोड़ का Deficit है। वर्तमान में 532 विकास कार्य प्रगति पर हैं जिनकी कुल स्वीकृति रु. 193.38 करोड़ के विरुद्ध रु. 80.43 करोड़ का भुगतान किया गया है एवं कार्य पूर्ण करने हेतु रु. 112.95 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त पूर्व में नये कार्यों की NIT जारी की गई थी जिनके कार्यादेश जारी करने में वित्तीय संकट के कारण 3 माह से अधिक विलम्ब हो चुका है। इन 532 कार्यों में से 01 जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008 तक रु. 45.46 करोड़ लागत के 326 कार्य प्रारम्भ किये गए जब कि न्यास/प्राधिकरण में उस समय इसका वित्तीय प्रबन्ध नहीं था। इनमें से अधिकांश कार्य गैर - योजना क्षेत्र से संबंधित है।

इस बावत सभी सदस्यों द्वारा समाधान करने की अनिवार्यता पर सहमति जतायी गयी एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की वित्तीय अनियमितता के संबंध में विशेष अंकेक्षण करवाया जावे तथा वित्तीय समस्या के समाधान हेतु ठोस कदम अवििलम्ब उठाये जावे।

12(9)- रोड कटिंग के संबंध में-

आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अवगत कराया कि जोधपुर क्षेत्र में रोड कटिंग की अनुमति देने/प्राप्त करने की परम्परा नहीं है जिससे जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्मित सड़कों को देलगाम तरीके से खोदा जाता है तथा नवनिर्मित सड़कें बहुत कम समय में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जिला कलक्टर महोदय ने भी इसकी पुष्टि की कि क्षेत्र में बिना अनुमति से सड़कें खादी जा रही हैं जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। अधिशाही अभियन्ता ने भी इसकी पुष्टि की।

अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में रोड कटिंग के लिए विधिवत स्वीकृति देने की व्यवस्था की जावे तथा सभी विभागों का पालन किया जावे कि बिना स्वीकृति के सड़क नहीं काटी जावे। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर समुचित कार्ययोजना बनाकर कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि निजी व्यक्तियों द्वारा भी बिना स्वीकृति के रोड कटिंग की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

12(10)- लैण्ड बैंक की स्थापना-

आयुक्त महोदय ने जानकारी दी कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पास नवीन सम्मिलित गावों का एवं पुराने गावों की कोई सम्मिलित भूमि सूची नहीं है जिससे उपलब्ध भूमि की जानकारी तुरन्त मिल सके। जिला कलक्टर महोदय ने यह निर्देश दिये कि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में भूमि बैंक की विस्तृत सूची तैयार करवावे।

12(11)- जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कार्यालय में नागरिक सुविधा केन्द्र की स्थापना के संबंध में-

आयुक्त महोदय ने जानकारी दी कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कार्यालय में नागरिक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गयी है। जिसमें वर्तमान में 10 सुविधाएं प्रारम्भ की गयी हैं। इस सुविधा केन्द्र पर नागरिक अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को दी गयी रसीद में शिकायत की निस्तारण की तिथि भी अंकित की जाती है। उस तिथि को आवेदक इसी काउण्टर से समाधान का पत्र प्राप्त कर सकता है।

जिला कलक्टर महोदय ने सुझाव दिया कि नागरिक सुविधा केन्द्र का प्रयास बहुत अच्छा है। इस प्रयास को और आगे बढ़ाया जावे। अतः यह सुविधा ई-मित्र के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध करवायी जावे जिससे नागरिक को अपने निकटतम स्थानों पर समस्या का समाधान मिलेगा तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कार्यालय भी भीड़ कम होगी साथ ही यह भी सुझाव दिया कि नागरिक सुविधा केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं की संख्या और बढ़ायी जावे जिससे अधिकांश समस्या का समाधान इसी केन्द्र पर किया जा सके।

नागरिक सुविधा केन्द्र के संबंध में विचार विमर्श यह निर्णय लिया कि सुविधा केन्द्र के समाधान बिन्दुओं की संख्या बढ़ायी जावे तथा कार्यालय स्तर पर उक्त व्यवस्था के सुचारु संचालन के पश्चात् इसे ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी उपलब्ध करवायी जावे। इस संबंध में ई-कियोस्क संचालकों से वार्ता कर MoU किया जावे।

12(12)- उप समितियों का गठन:-


आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने जानकारी दी कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के विभिन्न प्रकार के कार्य संपादन हेतु कमेटीय गठन करने का प्रावधान है इसलिए इनके गठन पर विचार किया जावे।

विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार की समितियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष रखे जावे। कार्यकारी समिति को इन प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है। यदि कार्यकारी समिति यह आवश्यकता महसूस करती है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अध्यादेश के प्रावधानों की पालना हेतु कुछ विशेष विषयों पर उप समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है तो कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अध्यादेश की परिधि में आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन कर सकेगी एवं उन्हें निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकेगी।

12(13)-अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि जोधपुर विकास प्राधिकरण में गैर योजना मद में निजी सम्पत्तियों या संस्थाओं के लिए कार्य स्वीकृत किये हैं। इन कार्यों को तुरन्त बन्द करवाया जावे तथा इस अनियमितता की जानकारी राज्य सरकार को तुरन्त भेजी जावे।

तत्पश्चात् बैठक सन्न्यताद समाप्त हुई।

22


(रमेशचन्द्र गुप्ता)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

प्रतिलिपि -

- 1- निजी सहायक (अध्यक्ष महाद्वारा) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 2- प्रमुख शासन सचिव महाद्वारा, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जोधपुर
- 3- जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, जोधपुर
- 4- महापौर महोदया, नगर निगम, जोधपुर
- 5- जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर
- 6- जोधपुर महाद्वारा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 6- शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जोधपुर
- 7- उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
- 9- अपर मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जोधपुर
- 10- अपर मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
- 11- मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- 12- जिला नगर नियोजक / उप नगर नियोजक, जोधपुर जिले, जोधपुर
- 13-

(रमेशचन्द्र गुप्ता)

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2009 / 1141-66

दिनांक :: 17 जून, 2009

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की तृतीय बैठक दिनांक 9 जून, 2009 का कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक श्री जे.पी. चन्देलिया, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 9 जून, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का नाम संलग्न परिशिष्ट संख्या-1 में अंकित है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2009 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की गत बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी तथा गत बैठक के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या 11 :: अंसल कॉलोनी क्षेत्र में स्थित प्राधिकरण की भूमि के संबंध में

इस संबंध में जिला कलेक्टर, जोधपुर ने जानकारी चाही कि अंसल समूह द्वारा विकसित सुशांत सिटी में राजकीय भूमि को शामिल करते हुए योजना पारित करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, एवं इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? उन्होंने सुझाव दिया कि राजकीय भूमि को शामिल करते हुए पारित ले-आऊट प्लान को निरस्त किया जाना चाहिए।

सचिव प्राधिकरण ने अवगत कराया कि प्राधिकरण की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में प्रकरण की रिपोर्ट कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 8 जून, 2009 में प्रस्तुत की गई थी। कार्यकारी समिति ने इस प्रकरण की जटिलताओं के मद्देनजर प्रकरण निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया है।

उक्तानुसार सुझावों पर बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निम्न निर्णय लिये गये-

1- विकासकर्ता ने प्राधिकरण की भूमि के चारों तरफ पार्क दिखाया है इससे जहा प्राधिकरण की भूमि के प्रवेश के मार्ग बन्द हो गये हैं वहीं विकासकर्ता के पार्कों का आकार अनियमित हो गया है, जो कि रवीकार्य योग्य नहीं है। इससे यह भी संभावना बनती है कि विकासकर्ता से भूखण्ड खरीदने वाले उपभोक्ता इस भ्रम में रहें कि विकासकर्ता के पार्कों के मध्य स्थित प्राधिकरण की भूमि भी पार्क है। अतः पूर्व में अनुमोदित ले-आऊट प्लान निरस्त किया जावे तथा संबंधित उपायुक्त विकासकर्ता को संशोधित ले-आऊट प्लान पारित करवाने हेतु सूचित करें।

2- ले-आऊट प्लान समिति संशोधित प्लान पर नियमानुसार विचार कर ले-आऊट प्लान पारित करने की कार्यवाही करें।

3- राजकीय भूमि के संबंध में प्राधिकरण अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है साथ ही प्रकरण की जटिलता को देखते हुए इस प्रकरण में नीतिगत निर्णय की

21

आवश्यकता है। अतः यह प्रकरण पूर्ण तथ्यात्मक विवरण के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

4- गलत ले-आऊट पारित करने के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक व न्यास के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में ली जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण के बजट पर विचार विमर्श।

प्राधिकरण का वर्ष 2009-10 के बजट बैठक में प्रस्तुत किया गया एवं बजट प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी।

बजट में विवेक विहार व चौखा, दो वृहद आवासीय योजनाओं का प्रावधान रखा गया है। साथ ही क्षेत्र के विकास एवं आय में वृद्धि हेतु रिंग रोड मय डवलपमेंट कोरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। वर्ष 2009-10 में नये रेल्वे ओवरब्रिज, फ्लाई ओवर निर्माण करने, फुट ओवरब्रिज का निर्माण, पूर्व में विकसित आवासीय कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने, नये क्षेत्रों को विकसित करने आदि कार्य पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बाद विचार विमर्श यह निम्न अनुसार निर्णय लिये गये:-

- 1- माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हरित राजस्थान अभियान को देखते हुए इस कार्य हेतु राशि का पर्याप्त प्रावधान रखा जावे।
- 2- शहर के तीनों बड़े अस्पतालों के विस्तार हेतु 1.00 करोड़ रुपये प्रत्येक अस्पताल हेतु कुल 3.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा जावे।
- 3- गौशाला मैदान में विकास कार्य हेतु 70.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा जावे।
- 4- शहर में हरियाली विस्तार हेतु बड़े समूहों को ट्री गार्ड लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जावे। जो ट्री गार्ड पर अपना नाम लिख सकेंगे।

उपरोक्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए बजट सर्व सम्मति से पारित किया गया। पारित बजट की प्रति कार्यवाही विवरण के संलग्न (परिशि ट संख्या-2) है।

प्रस्ताव संख्या 3 :: सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में सशोधन एवं लॉटरी के संबंध में विचार विमर्श।

सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के संबंध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2009 के संदर्भ में आयुक्त प्राधिकरण एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका देखा गया तथा मौके पर भूखण्डों के लिए रास्ते की उपलब्धता आदि की समस्या के कारण क्षेत्र का पुनः सर्वे करवाया गया एवं सर्वे के आधार पर योजना को संशोधित की गयी। संशोधित योजना का मानचित्र सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

बैठक में अवगत कराया गया कि सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में कुल 6579 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन-पत्रों की लॉटरी निकाली जानी है। अतः लॉटरी की तिथि व लॉटरी कमेटी गठित करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

उपायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी, आवंटन ने अवगत कराया कि चूंकि 400 भूखण्डों हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे किन्तु राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 4 (2) के अन्तर्गत 25 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र नीलामी

हेतु आरक्षित रखे जाने हैं इसलिए उपलब्ध 474 भूखण्डों में से 350 भूखण्डों का ही आवंटन लॉटरी से किया जा सकता है।

जिला कलक्टर, जोधपुर ने सुझाव दिया कि चूंकि 400 भूखण्डों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये हैं इसलिए यह निर्णय जन अपेक्षाओं के प्रतिकूल होगा। अतः योजना में 400 भूखण्डों की लॉटरी निकाली जावे।

उप नगर नियोजक प्राधिकरण ने सुझाव दिया कि योजना के मानचित्र में काफी क्षेत्र भविष्य में विस्तार हेतु आरक्षित रखा गया है यदि इस क्षेत्र में अतिरिक्त भूखण्ड मार्क कर उन्हें केवल नीलागी के माध्यम से निस्तारण हेतु आरक्षित किया जाता है तो प्राधिकरण पूर्व में निर्धारित 400 भूखण्डों की लॉटरी निकाल सकता है एवं साथ ही The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियमों की पालना भी सुनिश्चित की जा सकती है।

अतः सर्व सम्मति से बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि उप नगर नियोजक के उपरोक्त सुझाव को स्वीकार करते हुए 400 भूखण्डों की लॉटरी निकाली जावे। मौके पर ही वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा उपलब्ध ले-आऊट प्लान में अतिरिक्त भूखण्ड मार्क कर ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किया जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना में लॉटरी निकालने हेतु निर्णय लिया गया कि लॉटरी कम्प्यूटर के माध्यम निकाली जावे। लॉटरी निकालने हेतु निम्न अनुसार कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया:-

- 1- आयुक्त - सयोजक
- 2- सचिव - सदस्य
- 3- निदेशक (विधि)
- 4- निदेशक (वित्त)
- 5- निदेशक (अभियंत्रिकी)
- 6- निदेशक (आयोजना)
- 7- प्रतिनिधि जिला कलक्टर, जोधपुर - सदस्य
- 8- लेखाधिकारी - सदस्य
- 9- प्रभारी अधिकारी, आवंटन शाखा - सदस्य सचिव

प्रस्ताव संख्या 4 :: रामराज नगर में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन का अनुमोदन हेतु विचार विमर्श।

रामराज नगर एवं दन्तोपंथ ठेंगडी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन के समय 236 आवेदक जिन्होंने दन्तोपंथ ठेंगडी नगर के लिए आवेदन किये थे, ऐसे 236 आवेदकों को रामराज नगर के भूखण्ड आवंटित कर आवंटन-पत्र जारी कर दिये गये। इन आवंटियों द्वारा लीज डीड जारी करने हेतु प्राधिकरण में सम्पर्क किया जा रहा है, परन्तु सक्षम स्तर से अनुमोदन के अभाव में इन आवंटियों को लीज डीड जारी करना संभव नहीं है। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2009 में इस प्रकरण को प्राधिकरण की बैठक में रखकर निर्णय लेने का निर्णय लिया गया था। उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

दन्तोपंथ ठेंगडी नगर में कुल 828 भूखण्ड आवंटित किये जाने थे। किन्तु इस योजना क्षेत्र में बड़ी संख्या में कब्जे होने के कारण 236 भूखण्ड मौके पर खाली उपलब्ध नहीं होने से तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा दन्तोपंथ ठेंगडी नगर के स्थान पर रामराज नगर आवृत्तीय योजना में आवंटन-पत्र जारी कर दिये गये थे। लॉटरी में

आवटन किये जाने वाले भूखण्डों को शामिल कर लॉटरी निकाली गयी थी। इस प्रकार के कुल 236 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें मूल आवेदन दन्तोपथ डेगडी नगर के लिए किया गया था लेकिन इन आवंटियों को रामराज नगर में भूखण्डों का आवंटन किया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रामराज नगर एवं दन्तोपथ डेगडी नगर का कुछ क्षेत्र परिधि नियंत्रण पट्टी में आता है। इस क्षेत्र का अभी तक भू-उपयोग परिवर्तन राज्य सरकार के स्तर से नहीं किया गया है। ऐसे भूखण्डों की संख्या 313 है। दोनों योजनाओं में कुल भूखण्ड 1415 है। इन योजनाओं में कुछ भूखण्डों पर लोगों के अवैध कब्जे हैं। इन कब्जों को हटायें बिना ऐसे आवंटियों को कब्जा दिया जाना संभव नहीं है।

बैठक में विस्तार से चर्चा कर सर्व सम्मति से निम्न अनुसार निर्णय लिये गये:-

- 1- जो भूखण्ड परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है, उनके भू-उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखा जावे। भू उपयोग परिवर्तन का आदेश प्राप्त होते ही पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जावे।
- 2- तत्कालीन न्यास द्वारा राज्य सरकार की बिना अनुमति के 236 भूखण्डों का रामराज नगर से दन्तोपथ डेगडी नगर योजना में आवंटन कर आवंटन-पत्र जारी कर दिया था इसलिए इन आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अनुरोध-पत्र लिखा जावे।
- 3- जिन भूखण्डों के स्थान पर मौके पर अतिक्रमण हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर कार्यकारी समिति के माध्यम से प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णय हेतु रखा जावे।
- 4- विवाद रहित प्रकरणों में लीज डीड जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: Delegation of Power

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2009 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा प्राधिकरण अध्यादेश/अधिनियम के तहत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का विभाजन प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच करने के प्रस्ताव तैयार किये थे जो अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की बैठक में रखे गये। कार्यकारी समिति के प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर संशोधन सहित निम्न अनुसार शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया:-

S/No	Section of JDA ordinance	Particulars in brief	Name of the Authority to whom powers are to be delegated	Remarks
1-	9	Determination of the strength of staff creation of posts of Officers and servants	Executive Committee	
2-	17	Permission of undertake development within Jodhpur Region	Jodhpur Development Commissioner/ Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.	
3-	18	Power of the Authority to give direction, to any local authority	Jodhpur Development Commissioner	

		or other authority or person for implementation of any project or scheme.	
4-	19	Power to require local authority to assume responsibilities for the maintenance of amenities.	Jodhpur Development Commissioner
5-	20	Power to execute any plan or scheme not carried out by any local authority or other authority or person and to recover expenses incurred thereon.	Jodhpur Development Commissioner
6-	25	Modification of the Plans	Executive Committee
7-	26	Implementation of the Plan	Jodhpur Development Commissioner
8-	29	Declaration of any area in Jodhpur region as development area, permission for development in such area.	Jodhpur Development Commissioner
9-	30	Power of revocation or modification of permission to development	Jodhpur Development Commissioner/ Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
10-	32	Power to require removal of unauthorised development.	Jodhpur Development Commissioner/Dputy Commissioners/Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
11-	33	Power to stop unauthorised development	Jodhpur Development Commissioner/Dputy Commissioners/Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
12-	34	Removal of discontinuance of the unauthorised temporary development summarily	Jodhpur Development Commissioner/Dputy Commissioners/Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
13-	35	Power to require removal of authorised development or use	Jodhpur Development Commissioner/Dputy

		of land.	Commissioners/Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
14-	37	Sanction of sub-division of plots or layout of private street.	Executive Committee/Sub-committee made by EC.
15-	38	Recovery of expenses incurred under sections 32, 33, 35, 36, 37	Jodhpur Development Commissioner/Dupty Commissioners/Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
16-	39 & 40	Making projects and schemes to implement plan declaration to that effect.	Power retained by JDA
17-	43	Modification or withdrawal of project or scheme sanction u/s 41	Powers retained by JDA
18-	45	Power of purchase or lease or exchanges land by agreement.	Powers retained by JDA
19-	48 (2)	Payment of compensation by agreement in municipal area	Executive Committee
20-	53 (2)	Payment for compensation by agreement in rural area	Executive Committee
21-	-	Demolition of any building vested in the Authority on acquisition and eviction of occupiers.	Jodhpur Development Commissioner/Dupty Commissioners/Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
22-	54	Disposal of Nazool lands	Jodhpur Development Commissioner in accordance with policy laid down by JDA
23-	51 (2)	Keeping in current or deposit account of the Authority.	Jodhpur Development Commissioner/ the Director, Finance/ Officer of the Authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
24-	52	Establishing distinct bank account for loans fund	Jodhpur Development Commissioner / the

			Director (Finance)/ Officer of the Authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner
25-	53	Making provisions for Reserve Fund.	Powers retained by Jodhpur Development Authority
26-	54	Power in respect of management of the Funds referred in sub-section (i) of Section 61	Jodhpur Development Commissioner / the Director (Finance)/ Officer of the Authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner
27-	57	Powers to borrow money with the sanction of the State Government	Jodhpur Development Commissioner
28-	56	Power of the Authority to finance project or schemes and impose conditions thereof undertaken by any local authority or other.	Executive Committee
29-	58	Keeping accounts of the Authority	Jodhpur Development Commissioner / the Director (Finance)/ Officer of the Authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner
30-	62	Recovery of Ground rent or urban assessment from the plot holders.	Jodhpur Development Commissioner / the Director (Finance)/ Officer of the Authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner
31-	63	Charging fee for permission or licence granted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009	Jodhpur Development Commissioner / the Director (Finance)/ Officer of the Authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner
32-	67 (3)	Powers to remove obstruction upon public streets and open	Jodhpur Development Commissioner/Dupty

7
au

		spaces also encroachment or unauthorised obstruction in the property vested in the Authority/	Commissioners/Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
33-	67 (5)	Power to make complaint of offences under the Ordinance.	Jodhpur Development Commissioner/Dupty Commissioners/Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
34-	72	Power to institute and defend or compound.	Jodhpur Development Commissioner
35-	77 (b)	Power to withdraw from any legal proceeding	Jodhpur Development Commissioner
36-	80	Power of authorise any servant and the authority for entry the purpose of the section.	Jodhpur Development Commissioner/Dupty Commissioners/Officer of the authority with the general or specific permission of the Jodhpur Development Commissioner.
37-	83	Lumpsum contribution by the Authority in lieu of taxes levied by local authorities.	Executive Committee
38-	84	Deduction from salary or wages to meet claims of the authority, power of agreement and making requisition to employer etc.	Jodhpur Development Commissioner
39-	87	Power of Authority to call for returns, reports information from any local authority or any person.	Jodhpur Development Commissioner/ Director Town Planning /Director Finance/ Director Engineering/ Secretary
40-	96	Power to screen the employees of defunct UIT Jodhpur for absorption in Jodhpur Development Authority Services.	Committee of Commissioner, Director (Engineering), Director (Planning), Director (Accounts), Director (legal), Secretary, JDA, and Deputy Commissioners.

उपरोक्त अनुसार Delegation of Power का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 जोन का विभाजन।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2008 में जोन का कार्य क्षेत्र विभाजित किया गया था। अतः यह प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। जोन वार विवरण इस कार्यवाही विवरण के संलग्न (परिशिष्ट-3) है।

प्रत्येक जोन के प्रभारी संबंधित उपायुक्त होंगे। जो निम्न अनुसार कार्य सम्पादित करेंगे:-

1- प्राधिकरण की योजना:-

प्राधिकरण द्वारा स्वयं के स्तर पर विकसित योजनाएं जो जिस क्षेत्र में स्थित है, वो जोन को आवंटित की जाती है। कुछ योजनाएं इस प्रकार की है जिनका क्षेत्र एक से अधिक जोन में आता है इसलिए इन योजनाओं को एक ही जोन में शामिल करते हुए उस जोन में ही सम्पादित किया जाएगा जिसकी सूची जोन के साथ संलग्न है।

योजना के निम्नलिखित कार्य उपायुक्त द्वारा सम्पादित किये जाएंगे:-

- 1- योजना क्षेत्र के भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण (सभी कारणों से) करना।
- 2- भूखण्ड की बकाया लीज राशि, एक मुस्त लीज राशि जमा कर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करना। आवंटित भूखण्ड का लीज रजिस्टर तैयार करना एवं उनका अंकन सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित करना।
- 3- भूखण्डों की लीज डीड जारी करना।
- 4- भूखण्डों को बैंक में बंधक रखने की अनुमति जारी करना।

इन समस्त कार्यों के लिए उपायुक्त अधिकृत होंगे।

2- कच्ची बस्ती:-

उपायुक्त उनके अधीन क्षेत्र में आने वाली कच्ची बस्तियों के नियमन कार्य सम्पादित करेंगे यथा:-

- 1- कच्ची बस्ती का बस्तीवार रिजार्ड संधारण
- 2- कच्ची बस्ती का कम्प्यूटरीकरण
- 3- प्राप्त सर्वे सूची के आधार पर नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए लीज डीड जारी करना।
- 4- नियमित भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण (सभी कारणों से) करना, बकाया लीज राशि, एक मुस्त लीज राशि जमा कर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करना, नियमित भूखण्ड का लीज रजिस्टर तैयार करना एवं उनका अंकन सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित करना।
- 5- पूर्व में जारी लाईसेंसों के बदले भूखण्डों की लीज डीड जारी करना/ नियमित भूखण्डों को बैंक में बंधक रखने की अनुमति जारी करना, आदि

3- 90-बी:-

उपायुक्त उनके अधीन क्षेत्र में 90-बी नियमन की कार्यवाही सम्पादित करेंगे यथा:-

- 1- 90-बी के प्राथना-पत्र प्राप्त कर नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए भू-उपयोग परिवर्तित होने एवं ले-आऊट पारित होने के पश्चात् 90-बी के आदेश पारित करना, आदेश के आधार पर समर्पित भूमि का नामान्तरण प्राधिकरण के खाते में दर्ज करवाना, 90-बी की भूमि में पार्क एवं रास्ते की भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करना, 90-बी की प्राधिकरण के नाम दर्ज भूमि का अंकन सम्पत्ति रजिस्टर करना

- 2- संक्षम स्वीकृति प्राप्त कर पट्टे जारी करना तथा 90-बी में नियमित भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण (सभी कारणों से) करना, बकाया लीज राशि, एक मुस्त लीज राशि जमा कर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करना, नियमित भूखण्ड का लीज रजिस्टर तैयार करना एवं उनका अंकन सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित करना तथा नियमित भूखण्डों को बैंक में बंधक रखने की अनुमति जारी करना, आदि।

4- न्यायिक प्रकरण:-

विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के विरुद्ध चल रहे मुकदमों में उपायुक्त अपने क्षेत्र से संबंधित चल रहे विभिन्न न्यायालयों के प्रकरणों का रजिस्टर न्यायालय या र संघारित करेंगे तथा मुकदमों के संबंध में तथात्मक रिपोर्ट प्रमारी अधिकारी (शिधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को उपलब्ध करवायेंगे तथा प्रत्येक प्रकरण की पृथक पत्रावली संघारित करेंगे तथा नियमित पर्यवेक्षण करने की कार्यवाही करेंगे।

5- अतिक्रमण/अवैद्य निर्माण:-

अवैद्य निर्माण/अतिक्रमण के संबंध में उपायुक्त को प्राधिकरण अधिनियम की धारा 31 से 35 व 67 की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है। प्राधिकरण अधिनियम की धारा 31 से 35 एवं 67 के अधीन समस्त प्रकरण संबंधित उपायुक्त के कार्यालय में दर्ज होगे तथा उपायुक्त प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही सम्पादित करेंगे। मौके पर कच्चा हटाने, संबंधित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने, तथा अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाही हेतु उपायुक्त अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारी/ सतर्कता अधिकारी (प्राधिकरण में पदस्थापित पुलिस अधिकारी) को निर्देश दे सकेंगे।

6- स्थापना:-

उपायुक्त अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे।

7- सूचना का अधिकार:-

उपायुक्त अपने क्षेत्र के राज्य लोक सूचना अधिकारी होंगे तथा उन्हें आवंटित किये गये कार्यों की सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व उपायुक्त का होगा।

जोधपुर विकास आयुक्त अगर उचित समझते हैं तो वे किसी भी उपायुक्त के विशिष्ट कार्यभार अथवा संपूर्ण कार्यभार निष्पादित करने हेतु किसी भी अन्य उपायुक्त/अधिकारी को अधिकृत कर सकेंगे।

बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: अवमानना प्रकरणों में वैकल्पिक भूखण्डों के आवंटन की पुष्टि।

जिला उपभोक्ता मंच एवं अन्य न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर एवं वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अनुपालना नहीं किये जाने के कारण लम्बे समय से अवमानना प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे एवं ए.सी.जे.एम. न्यायालय में दो प्रकरणों में न्यायालय के आदेश की पालना हेतु प्रकरण विचाराधीन थे। माननीय न्यायालयों द्वारा इन प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण का निर्देश देते हुए अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे।

न्यायालय के निर्देशों की पालना हेतु शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक था। अतः निम्न अनुसार व्यक्तियों को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने का माननीय न्यायालयों उपभोक्ता मंच/राज्य उपभोक्ता मंच के आदेशों की अनुपालना में निर्णय लिया गया एवं अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन कराकर न्यायालय में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी:-

अवमानना प्रकरण

जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण मंच, जोधपुर

वर्ष 2009

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	अवमानना प्रकरण	विचाराधीन अस्थिति	निर्णय	मूल भूखण्ड का मंच	अवंटित वैकल्पिक भूखण्ड
1-	24/08	श्री महेश रानी	2582	किया	25 अक्टू	40 फीट गुना 80 फुट का 348 टकरा नम्बर-4

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	अवमान मुकदमा	विवादित सम्पत्ति	निर्णय	मूल भूखण्ड का भाग	आवृत्त वैकल्पिक भूखण्ड
		बनाम श्री जे.पी. महाश्री व सचिव श्री आर.सी. गुप्ता व अन्य	132 नगर योजना	2008	फाट	रामराज नगर योजना आकार 39 फीट गुना 69 फीट आवृत्त किया जाता है।

वर्ष 2008

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	अवमान मुकदमा	विवादित सम्पत्ति	निर्णय	मूल भूखण्ड का भाग	आवृत्त वैकल्पिक भूखण्ड
2-	45/08	श्रीमती मनु सारस्वत बनाम अरुण श्री राजेन्द्र महलौरा व सचिव श्री पी.रमेश	प्लान संख्या 281 सेक्टर की जीर्ण नगर योजना	19 अक्टूबर 2007	20 फीट गुना 45 फीट	पूर्व में प्लान संख्या 278.87 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवृत्त किया गया था इससे जीर्ण सड़क नहीं होने से रामराज नगर में सेक्टर 5 में भूखण्ड संख्या 11 आकार 30 फीट गुना 45 फीट आवृत्त किया जाता है।
3-	/08	श्री जगदीश प्रसाद वैभव बनाम श्री राजेन्द्र महलौरा अध्यक्ष	प्लान संख्या 67 कनला रोड नगर योजना	1 जनवरी 2008	30 फीट गुना 60 फीट	रामराज नगर योजना सेक्टर नंबर 4 भूखण्ड संख्या 42 आकार 30 फीट गुना 64 फीट आवृत्त किया जाता है।
4-	/08	श्री मोहनदारा बनारस श्री राजेन्द्र महलौरा व श्री जेके बंसल	प्लान संख्या 68 रीतिनगर सेक्टर की	23 फरवरी 2007	20 फीट गुना 40 फीट	रामराज नगर योजना सेक्टर 5 प्लान संख्या 12 आकार 20 फीट गुना 40 फीट आवृत्त किया जाता है।
5-	61/07	श्री राजेश्वरी बनारस श्री राजेन्द्र महलौरा अध्यक्ष व श्री कृष्ण कुण्डल सचिव	प्लान संख्या 301 पूर्वी पाल रोड योजना	3 जुलाई 2007	40 फीट गुना 70 फीट	भूखण्ड संख्या 350 सेक्टर नम्बर-1 रामराज नगर आकार 39 फीट गुना 69 फीट आवृत्त किया जाता है।

अपील

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	अवमान मुकदमा	विवादित सम्पत्ति	न्यायालय का आदेश	निर्णय	मूल भूखण्ड का भाग	आवृत्त वैकल्पिक भूखण्ड
1-	/08	जेडीए श्रीमती लूकंड बनाम जलिया	प्लान संख्या 297 सेक्टर की जीर्णनगर योजना	राज्य आयुक्त की प्रार्थना के पत्र में फैसला। अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया।	श्री के.पटेल	20 फीट गुना 45 फीट	रामराज नगर सेक्टर 5 प्लान संख्या 13 साईज 20 फीट गुना 45 फीट आवृत्त किया जाता है।
2-	/08	जेडीए बनाम श्री आनन्दसिंह टाक	प्लान संख्या 124 सेक्टर की जीर्ण नगर योजना	राज्य आयुक्त से प्रार्थना के पत्र में फैसला। अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया।	श्री के.पटेल	20 फीट गुना 49 फीट	रामराज नगर सेक्टर 5 प्लान संख्या 14 साईज 20 फीट गुना 45 फीट आवृत्त किया जाता है।
3-	/08	जेडीए बनाम श्री भागीरथ सन	पुश्पती कबीर भवन योजना प्लान संख्या 245 साईज 1 एच सर्विस योजना	राज्य आयुक्त से प्रार्थना के पत्र में फैसला। अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया।	श्री के.पटेल	9 अंश 13 फीट गुना 33 फीट	रामराज नगर सेक्टर 5 प्लान संख्या 209 साईज 10 फीट गुना 30 फीट आवृत्त किया जाता है।

ए.सी.जे.एम. न्यायालय में विधवाधीन Execution पत्रावलियां में जिनमें सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश थे:-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या व अवमान	मूल भूखण्ड का स्थान एव आकार	आवृत्त वैकल्पिक भूखण्ड	विशेष विवरण
1-	श्रीमती पारस कोंबर बनाम यूआईटी	सरस्वती नगर 200 वर्ग मीटर साईज 30 फीट	रामराज नगर आकार 30 फीट गुना 64 फीट	सरस्वती नगर सेक्टर 10 भूखण्ड संख्या 558 के बदले भूखण्ड संख्या 194 सेक्टर 5

	इजराय संख्या 10/3	गुणा 80 फीट	भूखण्ड संख्या 44 सेक्टर नम्बर-1 आवंटित किया जाता है	में देने के आदेश। यह कॉर्नर का भूखण्ड है व 700 वर्ग गज का है। यह भूखण्ड दिया जाना संभव नहीं है।
2-	भीमती जलन कवर नमान यूआईटी प्रतिरिक्त सिविल न्यायाधीश इजराय संख्या 35/95	शास्त्रीनगर प्लॉट संख्या 236 साईज 78 फीट गुणा 50 फीट अर्थात् 3750 वर्ग फीट	1- राजराज नगर आकार 30 फीट गुणा 64 फीट भूखण्ड संख्या 46 सेक्टर नम्बर-1 आवंटित किया जाता है।	प्राथमिक के भूखण्ड की साईज 3750 वर्ग फीट है। अतः 1920-1920 वर्ग फीट आकार के दो भूखण्ड संख्या 45 एवं भूखण्ड संख्या 48 आवंटित किये जाते हैं।

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना के उद्देश्य से जारी किये गये उक्त अनुसार भूखण्ड आवंटन का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: माननीय उपभोक्ता मंच एवं राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश (2) की पालना अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने के संबंध में।

माननीय उपभोक्ता मंच एवं राज्य आयोग द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में प्रभावित पक्षकारों को न्यायालय निर्णय के अनुरूप वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने हैं। अतः निम्न अनुसार वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत हैं:-

क्र. सं.	जिला उपभोक्ता मंच का प्रकरण संख्या एवं आदेश की दिनांक	राज्य आयोग का आदेश दिनांक	विवादित सम्पत्ति का विवरण	मूल भूखण्ड का माप	आवंटित वैकल्पिक भूखण्ड
1-	513/2005 पारस कोठारी बनाम यू आई टी दिनांक 11 सितम्बर, 2006	219/2008 दिनांक 13 मार्च, 2009	प्लॉट संख्या 171 सेक्टर डी कीर्ति नगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर	प्लॉट संख्या 13 रामराज नगर सेक्टर 5 माप 20 फीट गुणा 49 फीट
2-	774/2006 यू आई टी बनाम मुकेश माथुर दिनांक 12 मार्च, 2008	132/2008 दिनांक 4 नवम्बर, 2008	प्लॉट संख्या 199 सेक्टर बी कीर्ति नगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर	प्लॉट संख्या 15 रामराज नगर सेक्टर 6 माप 20 फीट गुणा 49 फीट
3-	738/2007 जे डी ए बनाम महावीर चन्द तातेड दिनांक 13 मार्च, 2009	8/2009 दिनांक 20 नवम्बर, 2008	प्लॉट संख्या 293 सेक्टर डी कीर्ति नगर योजना	30 फीट गुणा 60 फीट 200 वर्ग गज	प्लॉट संख्या 48 रामराज नगर सेक्टर 2 मार्च 30 फीट गुणा 64 फीट
4-	429/2006 दिनेश कुमार चौहान दिनांक 31 मार्च, 2008	221/2008 दिनांक 9 सितम्बर, 2008	प्लॉट संख्या 200 सेक्टर डी कीर्ति नगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर	प्लॉट संख्या 16 रामराज नगर सेक्टर 5 माप 20 फीट गुणा 49 फीट
5-	595/2007 जीप प्रकाश पण्डिया बनाम यू आई टी दिनांक 23 जुलाई, 2008	189/2008 दिनांक 30 दिसम्बर, 2008	प्लॉट संख्या 74 सेक्टर बी कीर्ति नगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर	प्लॉट संख्या 17 रामराज नगर सेक्टर 5 माप 20 फीट गुणा

6-	898/2007 मदन सिंह बनाम यूआईटी दिनांक 23 अगस्त, 2008	191/2008 दिनांक 10 दिसम्बर, 2008	प्लॉट संख्या 80, सेक्टर बी कीर्ति नगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.31 वर्ग मीटर	प्लॉट संख्या 18 रामराज नगर सेक्टर 5 भाग 20 फीट गुणा 49 फीट
7-	740/2007 जै डी ए बनाम मूलचन्द तातेड दिनांक 20 नवम्बर, 2008	7/08 दिनांक 13 मार्च, 2009	प्लॉट संख्या 89 सेक्टर बी, कीर्तिनगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.81 वर्ग मीटर	संख्या 19 रामराज नगर सेक्टर 5 भाग 20 फीट गुणा 49 फीट

सर्व सम्मति से विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में उपरोक्तानुसार वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाये। प्रभारी अधिकारी, आवंटन यह प्रयास करेंगे कि दिये जाने वाले भूखण्ड का आकार मूल भूखण्ड के समतुल्य है। व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अगर समतुल्य आकार का भूखण्ड उपलब्ध नहीं हो तो निकटतम आकार का उपलब्ध भूखण्ड आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: निजी कॉलोनी के बाहरी विकास के संबंध में विचार विमर्श।

राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 1 जनवरी, 2002 के तहत शहर में विभिन्न विकासकर्ताओं द्वारा कॉलोनियां विकसित की गयी है तथा इन कॉलोनियों से 50/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बाहरी विकास शुल्क जमा किये गये हैं। विकासकर्ता द्वारा इन कॉलोनियों के बाहरी विकास कार्यों की मांग की जा रही है। कुछ विकास कर्ताओं द्वारा विभिन्न विभागों के तकमीने इस कार्यालय को भिजवाये गये हैं तथा अनुरोध किया गया है कि यह राशि विभाग में जमा करायी जाये। इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया था। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 5 (3) नविवि/3/99-पार्ट दिनांक 8 मई, 2009 द्वारा निम्न अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी व सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: आवंटित भूखण्डों पर निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने से लैण्ड डिस्पोजल नियम 14 एवं 17 (6) (बी) से प्रभावित भूखण्डों के संबंध में विचार विमर्श।

आवंटित भूखण्ड पर नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 14 एवं 17 (6) (बी) के अन्तर्गत नीलामी से आवंटित किये गये भूखण्डों एवं लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्डों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है:-

14- Sale of residential plots through public auction- Residential plots not reserved for allotment shall be disposed of through public auction in the manner prescribed in Annexure-A

14-A. Additional charges on failure to construct the building, transfer and surrender of land purchased through acution. - (1) If a person who purchases the land through public auction for residential or commercial purposes, has not constructed a building within three years from the date on which possession of land is handed over, he shall pay levy at the rate 2.5% per year of the present

prevailing reserve price to the concerned trust upto ten years and if building has still not been constructed the lease of the land shall stand cancelled.

(2) The land purchased through auction shall not be transferred without giving information of such transfer to the trust and before such transfer all dues of trust shall be paid.

17 (6)(b) If person who has not constructed a building within (five years) from the date of allotment the plot so allotted to him shall stand cancelled and the allottee shall not be eligible for allotment of a plot in future.

(Provided that the Chairman may regularise such cancellation of plot and extend the period of construction of building upto 2 years from the date of such cancellation if the purchaser/allottee is prepared to pay the penalty at the rate upto 5% of the allotment price of plot. If the allottee fails to construct the building within this extended period, then the plot shall stand cancelled as provided in the sub-rule:

Provided further that in appropriate cases the Urban Improvement Trust in its meeting may regularise such cancellation of the plot and extend the period of construction of building for such period as it deems fit, if the allottee is prepared to pay a penalty at the rate upto 5% of the allotment price of plot for every year of default of construction.)

उक्त अनुसार भूखण्ड पर आवटी को तीन वर्ष में निर्माण कराना आवश्यक होता है 10 वर्षों में निर्माण नहीं होने पर भूखण्ड स्वतः ही निरस्त माना जाता है तथा 5 प्रतिशत शास्ती वसूल कर प्राधिकरण स्तर पर नियमन किया जा सकता है। प्राधिकरण क्षेत्र में बड़े स्तर पर इस प्रकार के भूखण्ड हैं जिनमें निर्धारित अवधि में मौके पर निर्माण नहीं किया गया है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निरतारण) नियम, 1974 के नियम 14 एवं 17 में मकान निर्माण की अवधि बढ़ाने की अध्यक्ष न्यास को प्रदत्त शक्तियां जोधपुर विकास आयुक्त को प्रदत्त की जाती है एवं न्यास को प्रदत्त शक्तियां कार्यकारी समिति को प्रदत्त की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 10 ओवरड्राफ्ट लिमिट के संबंध में।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2009 के प्रस्ताव संख्या 2 (2) द्वारा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की समस्या के तात्कालिक समाधान करने के रूप में ओवरड्राफ्ट लेने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था तथा यह प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में विभिन्न बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये। इन प्रस्तावों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जालोरी रोड शाखा, जोधपुर द्वारा न्यूनतम दर पर ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने का पत्र दिया गया था। प्राधिकरण को तुरन्त राशि की आवश्यकता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से बैंक में ओवरड्राफ्ट के प्रस्ताव प्रस्तुत कर ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली गई है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से 9.7 प्रतिशत अथवा बी0पी0एल0आर0 से 2.75 प्रतिशत कम, जो भी कम हो, की

दर पर प्राधिकरण की आगणवा रिखत भूमि को प्रतिभूति के रूप में रखकर 20.00 करोड रूपये का ओवर ड्राफ्ट लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 : ग्राम बडली में राजस्थान आवासन मण्डल को भूमि हस्तान्तरण।

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल एवं तकनीकी अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में भूमि आवासन मण्डल को हस्तान्तरण के संबंध में चर्चा की गयी। चर्चा में दोनों पक्षों की सहमति के अनुसार खसरा संख्या 88 की संलग्न नक्शे के अनुसार भाग "ए" की 706 बीघा भूमि का राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटन करने का निर्णय पूर्व में लिया जा चुका था। शेष भूमि के संबंध में निर्णय किया जाना है। अतः खसरा संख्या 88 के नक्शे में अंकित भाग "बी" रकबा 285 बीघा, भाग "सी" रकबा 278 बीघा, भाग "डी" रकबा 41 बीघा अतिरिक्त भूमि हस्तान्तरण पर सहमति की गई। इस प्रकार खसरा संख्या 88 की 1310 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से राजस्थान आवासन मण्डल को स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित है। नक्शे में दर्शाये गये भाग "एच" 100 बीघा भूमि वाणिज्यिक उद्देश्य से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पास रहेगी। नक्शे में दर्शाये गये भाग "जी" 195 बीघा भूमि समतल नहीं है इसलिए इस संबंध में सर्वे करने के पश्चात् निर्णय लिया जावेगा। 1310 बीघा भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की सामान्य बैठक में अनुमोदन के अध्याधीन प्रस्ताव राजस्थान आवासन मण्डल को प्रेषित किये गये हैं।

बौद्ध विचार विमर्श सर्व सम्मति से राजस्थान आवासन मण्डल को दिये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राजस्थान आवासन मण्डल को भूमि हस्तान्तरित करने के निर्णय में दर, क्षेत्रफल आदि को अन्तिम रूप देने हेतु जोधपुर विकास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 12 : पाल पाली रोड परियोजना के संबंध में।

पाल पाली रोड के संगंध में अधिशाषी, अभियन्ता-शहर द्वारा प्रस्तुत पाल रोड की परियोजना परिशिष्ट-4 व पाली रोड की परियोजना परिशिष्ट-5 विचारार्थ संलग्न प्रस्तुत की गई।

संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि पाल एवं पाली रोड पर 6 लेन, ड्रैन एव सेन्ट्रल मीडियन के कार्य प्रथम चरण में करवाये जाने प्रस्तावित है। इस हेतु आर.एस.आर.डी.सी द्वारा पाली रोड हेतु 9.75 करोड रूपये एवं पाल रोड हेतु 19.94 करोड रूपये की मांग की गयी है। चूंकि वर्तमान में प्राधिकरण में वित्तीय संसाधनों का अभाव है एवं ये दोनों सड़के मुख्य राजमार्ग की सड़के हैं। इसलिए शेष कार्यों को द्वितीय चरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मोर्थ से करवाये जाने हेतु निवेदन किया जाना चाहिए।

अधिशाषी अभियन्ता ने यह भी अवगत कराया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा पाली रोड एवं पाल रोड पर 7.84 + 7.46 कुल 15.30 करोड रूपये का संशोधित तकनीका प्रस्तुत किया गया है। जबकि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को इन कार्यों हेतु 3.59 + 3.80 कुल 7.39 करोड के डिपोजिट कार्य की स्वीकृति दी गयी थी।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में किये गये व प्रस्तावित कार्यों हेतु राशि पाली रोड हेतु 9.75 करोड रूपये एवं पाल रोड हेतु 19.94 करोड रूपये

De

आर.एस.आर.डी.सी. को हस्तान्तरित की जावे एवं शेष चरणों के कार्यों को करवाने हेतु मोर्चा को निवेदन किया जावे। जिला प्रमुख महोदय ने अवगत कराया कि यह काम काफी समय से रुका होने के कारण आम जन को भारी असुविधा हो रही है। अतः शीघ्र अति शीघ्र इस कार्य को पुनः शुरु करवाया जाना आवश्यक है। कार्य शीघ्र शुरु करवाने हेतु आर.एस.आर.डी.सी. ने तुरन्त राशि हस्तान्तरित करने की मांग की है। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्य प्रारम्भ कराने एवं प्रथम चरण के कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु आर.एस.आर.डी.सी. को राशि व्यापक जनहित एवं प्राधिकरण के उत्तरदायित्व को देखते हुए प्राथमिकता से हस्तान्तरित की जाकर कार्य शुरु करवाया जावे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के कार्य एवं सशोधित स्वीकृति के निर्णय हेतु विस्तृत रिपोर्ट बनायी जाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखी जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: नीलामीकर्ता की नियुक्ति के संबंध में विचार विमर्श।

प्राधिकरण में बड़े स्तर पर नीलामी आयोजित की जाती हैं। नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार किये बिना वाजिब दर प्राप्त होना संभव नहीं हो पाता है। प्राधिकरण स्तर पर स्टाफ की कमी एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण उचित प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है जिससे भूखण्डों की उचित राशि प्राप्त नहीं होती है। अतः नीलामी हेतु एक नीलामीकर्ता की नियुक्ति की जाती है तो उचित नीलामी दर प्राप्त हो सकती है इससे प्राधिकरण को आर्थिक लाभ होगा तथा नीलामी की प्रक्रिया निरन्तर रूप से जारी रह सकेगी।

इस संबंध में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 8 जून, 2009 में नीलामीकर्ता की नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रभारी अधिकारी, नीलामी ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण में अनुभवी नीलामीकर्ता की नियुक्ति पर विचार किया जावे तथा वित्तीय सक्षमता के साथ साथ राजकीय निगम/उपक्रम/राजकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव रखता हो। वित्तीय सक्षमता की जाच हेतु निर्माण कार्यों के द्वितीय मापदण्डों के आधार बनाया जा सकता है। निर्माण कार्यों में तकनीकी डिड में कुल परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत टर्न ओवर को आधार मानते हुए फर्म का वित्तीय रूप से सक्षम माना जाता है। घूँके प्राधिकरण को पिछले वर्ष 22.72 करोड रुपये की नीलामी से आय हुई है इसलिए नीलामी आय का 50 प्रतिशत अर्थात् 11.00 करोड रुपये नीलामी के अनुभव को पात्रता का आधार माना जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी, नीलामी के सुझाव पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नीलामीकर्ता की पात्रता हेतु जिस आवेदक का पिछले 10 वर्षों में से किन्ही तीन वर्षों में 10.00 करोड रुपये प्रत्येक की नीलामी करने का राजकीय निगम/उपक्रम/राजकीय विभाग में अनुभव प्राप्त है उसे ही नीलामीकर्ता के आवेदन हेतु पात्र मानते हुए नीलामीकर्ता की नियुक्ति की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: चौखा योजना में नवीन योजनाओं के संबंध में।

ग्राम चौखा में प्राधिकरण की भूमि पर बकरामण्डी, रामराज एवं दतोपंथ ठेगडी नगर योजना चल रही है। इसके समीप ही लगभग 2500 बीघा जमीन और उपलब्ध है। जो आवासीय प्रयोजनार्थ उपयुक्त है। इस भूमि पर आवासीय योजना तैयार कर जनता की सुविधा हेतु प्रस्तुत की जावे तो लगभग 10,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। अतः चौखा गाव के खंसरा संख्या 71 एवं 62 में स्थित 2500 बीघा में नई योजना तैयार करने हेतु प्रस्ताव किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श नई आवासीय योजना के प्रस्ताव को समिति ने सर्व सम्मति से स्वीकार किया तथा निर्णय लिया गया कि इस आवासीय योजना को शीघ्र तैयार किया जावे जिससे आम जनता को लाभ होगा। योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को लिए आवास हेतु विशेष व्यवस्था रखी जावे। योजना तैयार कर अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की बैठक में समस्त विवरण के साथ रखी जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 वासनी तम्बोलिया में आवासगृहों के संबंध में निर्णय

ग्राम बाज़नी तम्बोलिया में हुडको ऋण से 1999-2000 के 507 आवासगृहों का निर्माण कराया गया। इस योजना का नाम पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना रखा गया है। उक्त आवासीय योजना विना किसी अनुदान के तैयार किये गये थे। न्यास की बैठक दिनांक 7 फरवरी, 2001 के प्रस्ताव संख्या 4 में यह प्रस्ताव लिया गया कि उक्त आवासगृह सफाई कर्मचारियों को आवंटित कर दिये जावे। इस हेतु सफाई कर्मचारियों द्वारा इन आवासगृहों के आवंटन में कोई रुचि नहीं लिये जाने से आवासगृह खाली पडे रहे। इन आवासगृहों में से 68 आवासगृह को नीलामी द्वारा भी आवंटित किया गया। आवासों की उपलब्धता के कारण नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा निर्णय पारित कर दिनांक 8 अगस्त, 2008 को अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा निर्णय पारित कर इन आवासों को गरीब व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया। आवासों की कुल लागत 69,500/- रुपये तय की गयी। जिसे निम्न अनुसार वसूल किया जाना तय किया गया:

- आवेदन-पत्र के साथ 5,000/-
- आवंटन के 30 दिवस में 20,000/-
- आवंटन के 60 दिवस में 14,500/-
- शेष 30,000/- रुपये का भुगतान 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 120 मासिक किश्तों में लिया जाना तय किया गया। मासिक किश्त रुपये 484/- प्रति माह रखी गयी।

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने पर कुल 3077 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन-पत्रों की संख्या
1-	विकलांग	70
2-	सामान्य	2309
3-	अनुसूचित जाति	586
4-	अनुसूचित जन जाति	70
5-	डिफेंस	28
6-	राज्य कर्मचारी	14
	कुल योग	3077.

अतः प्राप्त आवेदन-पत्रों पर लॉटरी से आवंटन किया जाना है। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

बैठक में वासनी तम्बोलिया योजना के आवेदकों को लॉटरी द्वारा आवासगृहों का आवंटन करने पर विचार किया गया। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान (सब पीडी) प्रदान नहीं की गयी है इसलिए प्राप्त आवेदन-पत्रों में से पात्र पाये जाने वाले व्यक्तियों को कम्प्यूटर से लॉटरी निकाल कर आवासगृहों का आवंटन किया जावे। इस हेतु इसी बैठक में सुन्दरसिंह

गण्डारी योजना के लिए लॉटरी निकालने हेतु जो कमेटी गठित की गयी है, उसी कमेटी से यह कार्य भी सम्पादित करवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 प्राधिकरण कार्मिकों के सेवा संबंधी प्रकरणों पर विचार विमर्श।

प्राधिकरण कार्मिकों के सेवा संबंधी प्रकरणों के संबंध में विचार विमर्श बैठक में निर्णय लिया गया कि जध तक प्राधिकरण के नये सेवा नियम नहीं बनते हैं, तब तक राज्य सरकार के प्रचलित नियम यथा आर.एस.आर., सी.सी.ए. नियम, टी.ए., मेडिकल एलाउन्स नियम आदि लागू रहेंगे।

प्राधिकरण के सेवा नियम बनाने हेतु बाहरी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 : अन्य प्रकरण अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से

प्रस्ताव संख्या 17 (1) अधिकारियों/कर्मचारियों को दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

अधिकारियों और कर्मचारियों को दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है:-

1- राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से जारी परिपत्र क्रमांक प.5 (31) साप्र/3/82 दिनांक 29-1-2008 द्वारा अधिकारियों को दूरभाष की सुविधा प्रदान की गयी है। यह सुविधा केवल उन्हीं अधिकारियों को प्रदत्त है जिनके आवास पर दूरभाष सुविधा उपलब्ध है। अध्यक्ष एवं आयुक्त महोदय को असीमित सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारियों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है:-

- 1- सचिव
- 2- मुख्य अभियन्ता
- 3- सभी उपायुक्त
- 4- सभी निदेशक
- 5- अधिशाषी अभियन्ता
- 6- उप नगर नियोजक
- 7- लेखाधिकारी

2- राज्य सरकार के उक्त परिपत्र से प्रदत्त सुविधा की 50 प्रतिशत राशि तक के लिए निम्नलिखित अधिकारी अधिकृत किये जा सकते हैं:-

- 1- समस्त सहायक अभियन्ता
- 2- तहसीलदार
- 3- उम विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी

बैठक में बाब विचार विमर्श उपरोक्तानुसार प्रस्ताव राव सम्मति से स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 (2) नीलामी को स्वीकृत करने के अधिकार आयुक्त, प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करने हेतु।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2009 के प्रस्ताव संख्या 3 में नीलामी बोली के अनुमोदन का अधिकार आयुक्त को प्रदत्त किया गया है। अतः कार्यकारी

समिति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2008 का प्रस्ताव संख्या 3 निम्नानुसार है-

समिति ने यह भी निर्णय बारित कियों कि नीलामी बोली अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत होने से शशि प्राप्त होने में विलम्ब होता है। अतः जो नीलामी बोली 30 अप्रैल 2010 पर एक आरक्षित दर से अधिक है, उन बोलियों को स्वीकृत करने के अधिकार The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rules, 1974 के नियम 17 एवं एनक्सवर-ए की शक्तियों जो अध्यक्ष, न्यास में निहित है, ये शक्तियां आयुक्त, प्राधिकरण को प्रत्यापोजित करने का निर्णय लिया जाता है। आयुक्त, प्राधिकरण अपने स्तर पर नीलामी बोलियां स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे।"

The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rules, 1974 नगर विकास न्यास के लिए बने हुए हैं इसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को शक्तियां का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इन नियमों में निम्न अनुसार अधिकारियों को अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूकि The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rules, 1974 के नियमों में विभिन्न कार्यों को सम्पादन करने के अधिकार अध्यक्ष न्यास, न्यास समिति एवं राज्य सरकार में निहित हैं प्राधिकरण के परिप्रेक्ष्य में The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rules, 1974 के समस्त नियमों के तहत कार्य निम्न अनुसार सम्पादित किये जावे-

- 1- The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rules, 1974 में जहां अध्यक्ष न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियां जोधपुर विकास आयुक्त को प्रदत्त हों।
- 2- The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rules, 1974 में जहां न्यास न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियां कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त हों।
- 3- 1- The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rules, 1974 में जहां राज्य सरकार अंकित है वे शक्तियां राज्य सरकार की ही रहेंगी।

प्रस्ताव संख्या 17 योजना क्षेत्र में बढ़ते हुए क्षेत्रफल के संबंध में।
(3)

जो आवासीय योजना प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी है उन आवासीय योजना में आवंटन या नीलामी के भूखण्डों में नीलामी के समय दिये गये क्षेत्रफल एवं वारतविक माप में अन्तर देखा की मिलता है। इस तरह के बड़े हुए क्षेत्रफल के संबंध में बड़े हुए क्षेत्रफल की शशि किस प्रकार वसूल की जानी है। इस प्रकार के प्रकरणों में निम्न प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत है-

1- लॉटरी से आवंटित किये गये भूखण्डों के लिए The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rules, 1974 में भू-पट्टी आवंटन नियमन में प्रचलित नियमों के सहित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अनुसार अधिकतम 100 वर्ग गज तक के बड़े हुए क्षेत्रफल का नियमन किया जा सकता है तथा नियमित क्षेत्रफल की शशि भूखण्ड आवंटन की दुगुनी दर से वसूल की जावेगी।

2- नीलामी में आवंटित भूखण्डों के लिए बड़े हुए क्षेत्रफल की राशि नीलामी दर से वसूल की जा सकती है।

यह प्रक्रिया 100 वर्ग गज तक के भूखण्डों के लिए लागू होगी व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूभाग के लिए पृथक से भूखण्ड बनाकर नीलामी की क्यूरेवाही की जावेगी। बड़े हुए क्षेत्रफल के नियमन के साथ भू-पट्टी आवंटन के लिए प्रचलित नियमों के तहत अगर भूमि यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं कर रही हो, आम आदमी की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं हो, भूमि उससे लगती हुए भू-भाग के विपरित कोई उपयोग नहीं किया जावेगा तथा न ही क्षेत्र भूखण्ड बिल्डिंग लाइन के बाहर नहीं होगी।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों में आरक्षित दर की दुगनी दर, अथवा आवंटन की दर की दुगुना राशि, जो भी अधिक हो, वसूल की जावे। नीलामी के भूखण्डों में नीलामी की दर से राशि वसूल की जावे। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रचलित नियम/प्रक्रिया की सूचना मंगवाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: विकास कार्य
(4)

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 8 जून, 2009 के समस्त विकास कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के MoU के संबंध में।
(5)

बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के MoU के संबंध में विचार विमर्श कर समिति ने पहले इसे कार्यकारी समिति के द्वारा निर्णित कराने का निर्णय लिया गया तत्पश्चात अनुमोदनार्थ प्राधिकरण की बैठक में रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: बिल्डिंग बाईलॉज की दर तय करने के संबंध में विचार विमर्श।
(6)

तामिर स्वीकृति के संदर्भ में प्राधिकरण की 13 जनवरी, 2009 में भवन विनियम नियम, 2001 को स्वीकार किया गया था। जिनकी दरें निम्न अनुसार है-

1- 500 वर्ग मीटर तक के भवन के लिए शुल्क रूपये 1150/- सपये

न्यास मण्डल के निर्णय के अनुसार तत्कालीन समय प्रचलित दरों से निम्न है जो निम्न प्रकार है-

1-	270 वर्ग मीटर तक के 90-बी/न्यास योजना में स्वीकृत राशि	2150/- रूपये
2-	271-500 वर्ग मीटर तक के 90-बी/न्यास योजना में स्वीकृत राशि	2650/- रूपये

अतः न्यास मण्डल की दरें भवन विनियम 2001 से अधिक होने के कारण स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

बिल्डिंग बाईलॉज के संबंध में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर के समय प्रचलित बिल्डिंग बाईलॉज-2001 में जो दरें अधिक हैं, वो दरें ही वसूल की जावे। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके साथ प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: राजराज नगर दन्तोपथ ठेगडी नगर में (अधिवक्ता द्वारा राशि जमा नहीं करवाने का प्रकरण)
(7)

चूंकि The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rules, 1974 की समस्त शक्तियां जोधपुर विकास आयुक्त एवं कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित की जा चुकी है। अतः यह प्रकरण तदनुसार निर्णित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: अधिवक्ताओं की नियुक्ति
(8)

जिला प्रमुख महोदया ने यह बिन्दु उठाया कि प्राधिकरण के काफी अधिवक्ता प्राधिकरण के हित में प्रभावी पैरवी नहीं करते हैं जिससे प्राधिकरण को काफी नुकसान होता है। प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए एवं योग्य नये अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के अधिवक्ताओं की संख्या का समानीकरण करते हुए पुराने अधिवक्ताओं की जगह प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार योग्य एवं अनुभवी नये अधिवक्ताओं की नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु जोधपुर विकास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 17 :: छूटे हुए गांवों के संबंध में।
(9)

प्राधिकरण क्षेत्र में छूटे गये गांवों की सूची तैयार की गयी है जिन्हें राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने हेतु प्रेषित किया जाना है। राज्य सरकार को प्रेषित करने से पूर्व इन राजस्व गांवों की पुष्टि एवं रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालय से प्राप्त की जानी है जो सूची जिला कलक्टर कार्यालय को प्रेषित की हुई है, कलक्टर कार्यालय से प्राप्त होने पर उक्त सूची राज्य सरकार को भिजवा दी जावेगी।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में छूटे हुए गांवों की सूची जिला कलक्टर कार्यालय से पुष्टि करवाकर राज्य सरकार को अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: अतिरिक्त/अधिक फायों के संबंध में विचार विमर्श।
(10)

तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा विभिन्न कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति समय समय पर जारी की गई थी। इन स्वीकृतियों के आधार पर कार्य प्रारम्भ किये गये किन्तु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों में समय समय पर बदलाव कर स्वीकृत राशि बढ़ा दी गयी जो मूल स्वीकृत राशि से कई गुणा अधिक है। शिड्यूल ऑफ पोवर के तहत इन तरह के स्वीकृति कार्यों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना, संशोधित तकनीकी स्वीकृति समय पर जारी करना, आदि प्रक्रिया अपनायी जानी थी किन्तु न्यास/प्राधिकरण द्वारा यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। ऐसे कार्यों के भुगतान परिपक्व हो रहे हैं। इन कार्यों के भुगतान के समय यह पुष्टि की जानी आवश्यक है कि कार्य शिड्यूल

ऑफ पॉवर के अनुसार किया गया था, सक्षम स्वीकृति जारी की गई है, कार्यों की गणना, भौतिक रूप से कार्य सम्पादित किया गया तथा गुणवत्ता पूर्ण है, इसके परीक्षण हेतु इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 175-184 दिनांक 8 मई, 2009 द्वारा निम्नानुसार कमेटी गठित की गयी है:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर - अध्यक्ष
- 2- जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर का प्रतिनिधि
- 3- अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर का प्रतिनिधि
- 4- अति. मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि
- 5- लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उक्त गठित कमेटी द्वारा दिनांक 4 जून, 2009 को प्रथम बैठक आयोजित की गई। समिति ने 52 कार्य बिना किसी कटौती के भुगतान की अनुशंसा की है। चूंकि इन कार्यों के संबंध में तत्कालीन न्यास के समय में कार्यान्तर स्वीकृतियां जारी कर दी गयी थी, समिति के बैठक कार्यवाही विवरण पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से समिति की अनुशंसा अनुसार इन कार्यों के शेष भुगतान किये जाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में बिना सक्षम स्तर की पूर्ण अनुमति के विकास कार्य सम्पादित नहीं किये जावें अन्यथा कार्य सम्पादित करवाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में ली जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 17 :: 20.00 करोड रुपये की राशि उपभोग करने के संबंध में।
(11)

बैंक से 20.00 करोड रुपये के ओवरड्राफ्ट लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्वीकृति प्रदत्त कर दी गयी है। स्वीकृति के अनुरूप ओवर ड्राफ्ट लेने की कार्यवाही चल रही है। उक्त 20.00 करोड रुपये की राशि के उपभोग के संबंध में दिशा निर्देश तय किये जाने प्रस्तावित है। उक्त राशि केवल उन्हीं कार्यों के लिए भुगतान की जा सकेगी यथा जैसे ठेकेदार के भुगतान या अन्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो गया है जिसमें भुगतान किया जाना आवश्यक है। लेखाधिकारी (निदेशक (वित्त)) / लेखाधिकारी इस भुगतान के संबंध में निगरानी रखेंगे कि उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए राशि का उपभोग नहीं किया जावे।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 20.00 करोड रुपये के ओवर ड्राफ्ट में से 1.00 करोड रुपये नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित किये जावें शेष राशि दायित्वों के भुगतान पर ही खर्च की जावे। लेखाधिकारी व्यक्तिगत रूप से इन भुगतानों पर निगरानी रखेंगे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: कार्यकारी समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।
(12)

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठकों दिनांक 14 फरवरी, 2009, 17 अप्रैल, 2009 एवं 8 जून, 2009 को आयोजित की गयी। जिनके बैठक कार्यवाही विवरण प्रेषित किये जा चुके हैं। उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति के बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 : बरकतुल्लाह खां स्टेडियम को क्रिकेट एसोसिएशन को निःशुल्क किराये पर देने के संबंध में विचार विमर्श। (13)

पूर्व में अध्यक्ष न्यास द्वारा बरकतुल्लाह खां स्टेडियम को निःशुल्क किराये पर दिये जाने का निर्णय लिया जाता था। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बरकतुल्लाह खां स्टेडियम को निःशुल्क किराये पर देने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के माध्यम से निर्णित करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: बकरा मण्डी में आवंटित प्लॉटों की लीज राशि आदि की गणना हेतु आरक्षित दर के संबंध में। (14)

आवंटन समिति की बैठक दिनांक 14-6-2005 के प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार बकरा मण्डी योजना हेतु भूमि आवंटन/विक्रय प्रचलित आरक्षित दर 700/- रुपये प्रति वर्ग मीटर पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

न्यास बैठक दिनांक 1-2-2007 प्रस्ताव संख्या 15 (25) बकरामण्डी (ग्राम चौखा) योजना में भूखण्डों की कीमतन राशि जमा कराने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

“बैठक में अवगत करवाया गया कि बकरामण्डी (ग्राम चौखा) योजना में मांस व चमड़े का व्यवसाय करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए ग्राम चौखा में नई बकरा मण्डी में 456 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटियों से भूखण्ड की कीमतन राशि के संबंध में समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि जिन आवंटियों द्वारा एक मुश्त कीमतन राशि जमा करायी जाती उनसे 400/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड की कीमतन राशि वसूल की जावे तथा जो आवंटों किशतों में भूखण्ड की कीमतन राशि जमा करवाते हैं, तो उनसे 450/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड की कीमतन राशि वसूल की जावे।”

आवेदन-पत्र में भूमि की आवंटन दर आरक्षित दर रुपये 770/- प्रति वर्ग मीटर अंकित की गई। यू.आई.टी. के प्रस्ताव दिनांक 1-2-2007 में आवंटन दर तो 400/- रुपये प्रति वर्ग मीटर अंकित कर दी गई किन्तु इसका सभी जगह संशोधन नहीं हो सका। इस कारण लीज राशि की गणना में समस्या आ रही है। चूंकि न्यास बैठक दिनांक 1-2-2007 के प्रस्ताव संख्या 15 (25) के अनुसार भूखण्ड की कीमत राशि 400/- रुपये प्रति वर्ग मीटर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त दर को आरक्षित दर मानकर लीज राशि बढे हुए क्षेत्रफल की गणना किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि चूंकि भूमि का आवंटन आरक्षित दर पर किया जाता है एवं लीज राशि की गणना भी आरक्षित दर पर ही होती है। तत्कालीन न्यास के उपरोक्तानुसार निर्णय से यह स्पष्ट है कि न्यास की, यह मंशा आरक्षित दर को 770/- रुपये से कम कर 400/- रुपये करने की रही थी। चूंकि आवंटन 400 रुपये की दर से किया गया है। अतः लीज राशि की गणना 400 रुपये की दर से ही की जावे।

बकरा मण्डी क्षेत्र में कुल 456 भूखण्ड है इन सभी भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन किया गया था। इनमें कॉर्नर भूखण्ड भी शामिल हैं। कॉर्नर भूखण्डों से नियमानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त कर लीज डीड जारी करने का निर्णय लिया गया।

योजना क्षेत्र में 60 दुकानों के भूखण्ड भी है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी, आवंटन शाखा विस्तृत योजना बनाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखें।

प्रस्ताव संख्या 17 : जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक पथ प्रकाश
(15) व्यवस्था हेतु लगाई गई लाईटों को नगर निगम, जोधपुर को
हस्तान्तरण करने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2009 में निर्णय
लिया गया था कि नगर निगम क्षेत्र में स्थित लाईटों को नगर निगम को हस्तान्तरित कर
दिया जावे। अतः इसकी पालना में निम्न अनुसार प्रस्ताव तैयार किये गये:-

1- वार्ड संख्या 1 से 60 की समस्त लाईटें नगर निगम को हस्तान्तरित की जावे।


2- हस्तान्तरित लाईटों के टाईमर स्वीच, मेन ऑपरेटर, ऑन-ऑफ करने की
जिम्मेदारी नगर निगम की रहेगी। उक्त क्षेत्र के बिलों का भुगतान नगर निगम,
जोधपुर द्वारा किया जावेगा तथा नगर विकास न्यास, जोधपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर के नाम से जो कनेक्शन लिया गया है, वे समस्त नगर निगम, जोधपुर के नाम
हस्तान्तरित करवाये जावे।

बाद विचार विमर्श उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय
लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 : भूमि आवंटन के प्रकरणों के संबंध में।
(16)

भूमि आवंटन के प्रकरण के संबंध में प्रभारी अधिकारी, आवंटन ने बताया कि
आवंटन की पत्रावलियां पूर्व में भूमि आवंटन हेतु नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा राज्य
सरकार के प्रचलित दिशा निर्देशों एवं नियमों की पालना पूर्णतः नहीं की जा रही थी। अतः
वर्तमान में लम्बित पत्रावलियों को पूर्ण कर प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय हेतु रखने के
लिए कुछ समय की आवश्यकता है। अतः सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भूमि
आवंटन के समस्त लम्बित प्रकरण राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत गुणावगुण
के आधार पर, आवेदक संस्था के विस्तृत निरीक्षण के उपरान्त संपूर्ण विवरण व टिप्पणी के
साथ आगामी बैठक में रखे जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



(रमेशचन्द्र गुप्ता)

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमाक/बैठक/2009/1141-1166

दिनांक : 17 जून, 2009

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 3- जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
- 4- महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
- 5- जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर
- 6- जिला पुलिस अधीक्षक (शाहर) महोदय, जोधपुर

- 7- आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 8- शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 9- उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
- 10- अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
- 11- अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
- 12- मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- 13- वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर



मुक्तक कोषिका के.एस. जोधपुर

21

(रमेशचन्द्र गुप्ता)
सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

9

15 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर

16 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर

17 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर

18 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर

19 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर

20 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर

21 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर

22 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर

23 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर

24 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर

25 - उपस्थित कोषिका के.एस. जोधपुर